



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 26]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 26 जून 2015-आषाढ़ 5, शके 1937

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, मैं आदेश कुमार जैन पुत्र स्व. श्री ज्ञानचंद जैन, निवासी ई-3, जजेस कॉलोनी मेरे कुछ शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा नाम आदेश जैन अंकित है, जबकि मैं आदेश कुमार जैन पूरा नाम प्रयुक्त कर रहा हूँ, इसी नाम से जाना, पहचाना जावे.

पुराना नाम :

(आदेश जैन)

नया नाम :

(आदेश कुमार जैन)

ई-3, जजेस कॉलोनी, ग्वालियर.

(147-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, SARANJEET KAUR SALUJA पत्नी GURDEEP SINGH SALUJA, निवासी 530, नेपियर टाउन, जबलपुर, इस आम सूचना के माध्यम से सूचित कर रही हूँ कि मेरा नाम SARANJEET KAUR SALUJA है जबकि मेरे पुत्र ISHPREET SINGH SALUJA के शाला रिकार्ड में भूलवश मेरा नाम SARANJEET SALUJA दर्ज है जिसे कि सुधार कर SARANJEET KAUR SALUJA दर्ज किया जाना है तथा सभी अर्द्ध शासकीय व शासकीय कार्यों में भी मेरा नाम SARANJEET KAUR SALUJA दर्ज किया जाना है.

पुराना नाम :

(सरनजीत सलूजा)

SARANJEET SALUJA

(148-बी.)

नया नाम :

(सरनजीत कौर सलूजा)

SARANJEET KAUR SALUJA

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, प्रार्थियों यामिनी शर्मा पत्नी हितेन्द्र शर्मा, आयु 32 साल, निवासी बल्देव भवन काशी नरेश की गली ग्वालियर यह है कि मेरा विवाह दिनांक 04-05-2001 को हितेन्द्र शर्मा पुत्र महेश प्रसाद शर्मा के साथ हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार सम्पन्न हुआ है. यह है कि विवाह से पहिले मेरा नाम कुमारी राज कुमारी शर्मा पुत्री राधा बल्लभ शर्मा था जो मेरी शैक्षणिक योग्यता सम्बन्धी प्रमाण-पत्र व शासकीय रिकार्ड में नाम दर्ज है. यह कि शादी के बाद श्रीमती यामिनी शर्मा पत्नी हितेन्द्र शर्मा के नाम से जानी, पहिचानी व पुकारी जाती हूँ तथा

भविष्य में इसी नाम से जानी व पहिचाना जाये तथा मेरे सर्विस रिकार्ड में राजकुमारी शर्मा के स्थान पर श्रीमती यामिनी शर्मा पत्नी हितेन्द्र शर्मा के नाम से परिवर्तन किये जाने हेतु शपथ-पत्र प्रस्तुत कर मांग की है कि मेरा नाम श्रीमती यामिनी शर्मा, शासकीय व अशासकीय सेवा में यही मान्य किया जावे.

पुराना नाम :

(राज कुमारी शर्मा)

पुत्री श्री राधा बल्लभ शर्मा

(149-बी.)

नया नाम :

(यामिनी शर्मा)

पत्नी हितेन्द्र शर्मा

निवासी-बल्देव भवन काशी नरेश की गली,

ग्वालियर (म.प्र.).

उप-नाम परिवर्तन

मैं, रज्जन प्रसाद कुर्मी, उम्र 41 वर्ष, पिता जमना प्रसाद कुर्मी, निवासी सिविल वार्ड नं. 6, विवेकानंद नगर, दमोह, तहसील व जिला दमोह मध्यप्रदेश ज्योतिष एवं उपचारक का कार्य करता हूँ. मैंने इस संबंध में तीन पुस्तकों का लेखन कार्य भी किया है जिसमें मेरा नाम रज्जन प्रसाद पटेल डाला है. मेरे दस्तावेज जैसे पैनकार्ड, मार्कसीट और ड्रायविंग लायसेंस में जाती कुर्मी दर्ज है जबकि मेरे आधारकार्ड, बैंक पासबुक व राशन कार्ड में पटेल दर्ज है. मैं आज शपथ-पत्र देकर कहता हूँ मुझे आज से रज्जन प्रसाद पटेल के नाम से जाना जाये एवं मैं अपने हस्ताक्षर भी इसी नाम से करूंगा. आज से मेरा सरनेम कुर्मी के स्थान पर पटेल हो गया है जो मेरी उपजाति है.

पुराना नाम :

(रज्जन प्रसाद कुर्मी)

(150-बी.)

नया नाम :

(रज्जन प्रसाद पटेल)

सिविल वार्ड नं. 6, विवेकानंद नगर,

दमोह मध्यप्रदेश.

नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमति सीमा गुप्ता पत्नी श्री राजेश गुप्ता सर्व-साधारण को सूचित करती हूँ कि विवाह पूर्व मेरा नाम कु. रजनी गुप्ता पुत्री श्री एम. एल. गुप्ता तथा परन्तु विवाह पश्चात मेरा नाम श्रीमती सीमा गुप्ता पत्नी श्री राजेश गुप्ता किया गया है. अतः मुझे भविष्य में सभी सरकारी दस्तावेजों एवं शासकीय कार्यों में श्रीमती सीमा गुप्ता पत्नी श्री राजेश गुप्ता के नाम से जाना एवं पहचाना जाए.

पुराना नाम :

(रजनी गुप्ता)

पुत्री श्री एम. एल. गुप्ता

(165-बी.)

नया नाम :

(सीमा गुप्ता)

पत्नी श्री राजेश गुप्ता

निवासी-म. नं. बी-180, आकृति गार्डन

नेहरू नगर, भोपाल (मध्यप्रदेश).

नाम परिवर्तन

मेरा सही नाम संजय सिंह है, जो कि मेरे सभी शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में लिखा है, जबकि रियाज मेरा घरेलू नाम है जो केवल घरेलू उपयोग में आता है, किन्तु त्रुटिवश मेरी पुत्री अंजली सिंह की अंकसूचियों में मेरा घरेलू नाम रियाज लिखा गया है जो कि गलत है. अतः मेरी पुत्री अंजली सिंह की अंकसूचियों में मेरा सही नाम संजय सिंह लिखा व पढ़ा जावे.

पुराना नाम :

(रियाज)

(155-बी.)

नया नाम :

(संजय सिंह)

ग्राम-मलिया गुडा, तहसील-पाली

जिला-उमरिया मध्यप्रदेश.

नाम परिवर्तन

पूर्व में मेरा नाम कु. शोब्या जैन था, जो कि अब बदलकर कु. अर्पिता जैन हो गया है, अतः अब से मुझे कु. अर्पिता जैन के नाम से ही जाना, पहचाना जावे.

पुराना नाम :

(शोब्या जैन)

(157-बी.)

नया नाम :

(अर्पिता जैन)

पिता श्री देवेन्द्र कुमार जैन,

343, व्यंकटेश नगर, एरोड्रम रोड, इन्दौर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम कु. संजू विश्वकर्मा पुत्री श्री ज्वाला प्रसाद विश्वकर्मा था, विवाह उपरान्त मेरा नाम श्रीमती संजना शर्मा पत्नी श्री अमित शर्मा हो गया है. अतः भविष्य में मुझे सभी शासकीय एवं अशासकीय अभिलेखों में मुझे मेरे नये नाम श्रीमती संजना शर्मा के नाम से जाना एवं पहचाना जावें.

पुराना नाम :

(संजू विश्वकर्मा)

पुत्री- श्री ज्वाला प्रसाद विश्वकर्मा

111, रामानन्द कॉलोनी, गुफा मंदिर के पास,
लालघाटी, भोपाल (मध्यप्रदेश)

(160-बी.)

नया नाम :

(संजना शर्मा)

पत्नी- श्री अमित शर्मा,

निवासी-10/3, सखीपुरा, इन्दौर गेट
उज्जैन मध्यप्रदेश.

PUBLIC NOTICE

PUBLIC NOTICE IS HEREBY Given that the partnership subsisting between the under signed and Shri Tamim Mehar and Shri S.R.Kanhai, have been carrying on the Business of Civil Construction etc. at Mhow-Neemuch Road, Village-Karondia (Choupati), Post- Bhatkheri, Distt. Indore (MP) under the name and style of M/S CAPITAL INFRASTRUCTURES vide partnership deed dated 21.11.2009 and duly registered at Bhopal in the Assistant Registrar of Firms bearing No.01/01/01/00241/09, Dated 25/11/2009 and whereas the said Shri Tamim Mehar and Shri S.R.Kanhai have retired from the partnership firm w.e.f. 01.04.2013 and Shri Tosif Mehar has joined the firm on 01.04.2013.

Further, take Notice that the said business will be carried on by under signed and incoming partners under the old name and style.

For : Capital Infrastructure

MOHAMMAD SIDDIQUE MEHAR

(Partner)

(151-B.)

PUBLIC NOTICE

PUBLIC NOTICE IS HEREBY Given that the partnership subsisting between the under signed Ravindra Kumar Jhala S/o Shri Motilal Jhala aged about 52 years, Resident of 331, Near Bus Stand, Gandharvapuri, Distt. Dewas (MP), Smt. Sunita Jhala W/o Shri Ravindra Kumar Jhala aged about 41 years, Resident of 331, Near Bus Stand, Gandharvapuri, Distt. Dewas (MP), Shri Dharmendra Jhala S/o Shri Motilal aged about 37 years, Resident of 331, Near Bus Stand, Gandharvapuri, Distt. Dewas (MP) and Shri Deepesh Jhala S/o Shri Ravindra Kumar Jhala aged about 24 years, Resident of 331, Near Bus Stand, Gandharvapuri, Distt. Dewas (MP) have been carrying on the business of Civil Constructions in partnership under the name and style of M/s KRUTI INFRASTRUCTURES vide partnership deed dated 01.02.2012 and duly registered at Ujjain in the office of Assistant Registrar of Firms bearing No.07/38/01/00006/12, Dated 09.04.2012 and whereas the said Shri Deepesh Jhala S/o Ravindra Kumar Jhala has retire from the firm w.e.f. 01/04/2015 and Shri Mayur Jhala S/o Shri Ravindra Kumar Jhala aged about 22 years, Resident of 331, Near Bus Stand, Gandharvapuri, Distt. Dewas (MP) has joined the firm w.e.f. 01/04/2015.

Further take Notice that the said business will be carried on by under signed, continuing and incoming partner under the old name and style.

For : Kruti Infrastructures

RAVINDRA KUMAR JHALA

S/o Shri Motilal Jhala,

(Partner)

331, Near Bus Stand, Gandhravapuri,
Distt. Dewas (M.P.).

(152-B.)

आम सूचना

मेसर्स श्रवण होम्स जो कि दिनांक 16-10-2002 को हुआ था. जिसमें भागीदार स्व. श्री श्रवण कुमार शर्मा पुत्र स्व. श्री एच. आर. शर्मा,

सुनील शर्मा पुत्र स्व. श्री श्रवण कुमार शर्मा, अन्जू शर्मा पत्नी श्री संजीव शर्मा, रूचि शर्मा पत्नी श्री सुधीर शर्मा के नाम से रजिस्ट्रार फर्म में पंजीयन है. जो कि स्व. श्री श्रवण कुमार शर्मा जी की मृत्यु 06-05-2005 को हो गयी है एवं अन्जू शर्मा और रूचि शर्मा का भी नाम हटाकर संशोधित पार्टनरशिप डीड बनाई गई है. जिसमें सुनील शर्मा यथावत् संजीव शर्मा एवं सुधीर शर्मा का नाम जोड़ा गया है.

यदि किसी भी व्यक्ति को आपत्ती है तो वह पांच दिवस के अन्दर आकर अपनी आपत्ती प्रस्तुत करें.

फर्म रजिस्ट्रेशन क्रमांक-105 (2002-2003)

M/s Shrawan Homes

सुनील शर्मा,
(Partner)

कार्यालय पता :-195-ओल्ड अशोका गार्डन, भोपाल.

(154-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स नवीन कन्स्ट्रक्शन, वार्ड नं. 15, एल. आई. सी. ऑफिस के पास, सौंसर, जो फर्म एवं संस्थाएं कार्यालय जबलपुर मध्यप्रदेश में क्रमांक 04/17/01/00143/11, वर्ष 2011-2012 दिनांक 23-07-2011 पर रजिस्टर है दिनांक 01 अप्रैल, 2015 से भागीदार क्रमशः (1) शरद खंडार पुत्र श्री सुधीरराव खंडार, निवासी अल्पस रेसीडेंस कॉम्प्लेक्स 10, सेन्ट्रल एक्साईज कॉलोनी, छत्रपति चौक, नागपुर, महाराष्ट्र, (2) शिशिर खंडार पुत्र श्री सुधीरराव खंडार, निवासी अल्पस रेसीडेंस कॉम्प्लेक्स 10, सेन्ट्रल एक्साईज कॉलोनी, छत्रपति चौक, नागपुर, महाराष्ट्र अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गये हैं तथा इसी दिनांक 01 अप्रैल, 2015 को नवीन साझेदार के रूप में (1) श्री नवीन शर्मा पुत्र श्री सुरेश शर्मा, निवासी वार्ड नं. 15, एल. आई. सी. ऑफिस के पास, सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) फर्म में नये भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गये हैं. आमजन एवं सर्वजन सूचित हो.

वास्ते—

फर्म—मैसर्स नवीन कन्स्ट्रक्शन

गोपाल शर्मा,
(भागीदार)

वार्ड नं. 15, एल. आई. सी. ऑफिस के पास,
सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.).

(156-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म एवं संस्थाएं विभाग में पंजीकृत फर्म मेसर्स ग्राउण्ड वर्क सर्विसेज पंजीकृत कार्यालय एस. एफ. 03, शुभम कॉरपोरेट 27, पटेल नगर, इंदौर को दिनांक 05 जून, 2015 को फर्म के साझेदारों—श्री अंकेश बरिआ एवं श्री नितेश बाशानी की आपसी सहमति के आधार पर उपरोक्त भागीदारी फर्म समाप्त (डिसॉल्व) हो गई है एवं सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त फर्म के नाम से किसी भी व्यक्ति से किसी भी प्रकार का कोई भी संव्यवहार न करें, अन्यथा समस्त जवाबदारी सम्बंधित पक्ष की स्वयं की होगी. यह सर्व-विदित हो.

For : Groundwork Services

NITESH BASHANI

(Partner).

(158-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स एम. एन. चन्द्रलोक होटल फर्म पंजीयन क्रमांक 05/22/03/0003/15, पता-अमहिया रोड, रीवा (म.प्र.) उक्त फर्म की रचना में परिवर्तन 08-05-2015 को द्वितीय भागिताविलेख के द्वारा करते हुये फर्म का नाम मेसर्स एम.एन. चन्द्रलोक होटल का नाम परिवर्तित करके नया नाम मेसर्स एम. एन. इन्टरप्राइजेज कर दिया गया है जो कि अब इसी नाम से जाना जायेगा अतः जिस किसी को फर्म के नाम परिवर्तन में आपत्ति हो तो वह प्रकाशन दिनांक के एक सप्ताह के अन्दर आपत्ति दर्ज करें.

द्वारा-फर्म

मेसर्स एम. एन. चन्द्रलोक होटल,

संजय कुमार माधवानी,

(पार्टनर)

अमहिया रोड, रीवा (म. प्र.).

(161-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स नर्वदा कॉन्स्ट्रक्शन कम्पनी फर्म पंजीयन क्रमांक 05/26/09/00018/09, फर्म के पार्टनर अमन सेठ, पता-अरविन्द साधनालय के पास टिकुरिया मोहल्ला, पन्ना, जिला पन्ना (म.प्र.) अपनी स्वेच्छा से आज दिनांक 31-03-2015 से फर्म

से रिटायर हो गये हैं। जिनका फर्म की किसी भी गतिविधियों से कोई लेना-देना नहीं होगा। अतः जिस किसी को भागीदारी विलेख के सम्बन्ध में आपत्ति हो तो वह प्रकाशन दिनांक के एक सप्ताह के अन्दर आपत्ति दर्ज करें।

अतः दिनांक 31 मार्च, 2015 से फर्म से निकलने वाले भागीदार का फर्म की किसी भी गतिविधि से कोई लेना-देना नहीं होगा।

(162-बी.)

द्वारा-फर्म
मैसर्स नर्वेदा कॉन्स्ट्रक्शन कम्पनी,
संदीप कुमार सेठ,
एम. आई. जी., 147 के सामने
कौशल्या भवन, भरहुत नगर, सतना (म.प्र.).

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स जीत इन्डस्ट्रीज का गठन दिनांक 01-09-2010 को भागिता विलेख के माध्यम से किया गया था। जिसका पंजीयन क्रमांक-05/22/03/00138/10 है। उक्त फर्म की संरचना में परिवर्तन दिनांक 01-05-2015 को संशोधित भागिता विलेख के द्वारा करते हुए फर्म का नाम जीत इन्डस्ट्रीज से बदलकर माखीजा इन्डस्ट्रीज कर दिया गया है साथ ही फर्म में एक नये पार्टनर श्री हरपाल सिंह माखीजा को शामिल किया गया एवं पार्टनर नं. 2 श्री हरजीत सिंह माखीजा दिनांक 01-05-2015 से फर्म से अलग हुए। उक्त भागीदारी विलेख में 01-05-2015 को पुनः परिवर्तन करते हुए पूर्व भागीदारी अभिलेख के संशोधित विलेख का निष्पादन करते हुए फर्म का नाम जीत इन्डस्ट्रीज से बदल कर माखीजा इन्डस्ट्रीज कर दिया गया है साथ ही नये पार्टनर श्री हरपाल सिंह माखीजा को शामिल किया गया एवं पार्टनर नं. 2 श्री हरजीत सिंह माखीजा स्वेच्छा से फर्म से अलग हो गये। अतः जिस किसी को भागीदारी विलेख के सम्बन्ध में आपत्ति हो तो सात दिन के अन्दर आपत्ति दर्ज करें। अतः दिनांक 01-05-2015 से फर्म से निकाले भागीदारों का फर्म की किसी गतिविधि से कोई लेना-देना नहीं होगा।

(163-बी.)

द्वारा-फर्म
जीत इन्डस्ट्रीज,
GURPREET KAUR
(पार्टनर)
प्लॉट नं. 95, 95 A, 98, 98A
उद्योग विहार चोरहटा, रीवा (म.प्र.).

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स शौर्य कॉन्स्ट्रक्शन कम्पनी फर्म पंजीयन क्रमांक 05/22/03/00124/10 है। उक्त फर्म की रचना में परिवर्तन 15-04-2015 को द्वितीय भागिता विलेख के द्वारा करते हुये फर्म के पार्टनर क्रमशः पार्टनर नं. (1) श्री राजीव अवस्थी, पता-सर नं. 2, गंगेव, जिला रीवा (म.प्र.), पार्टनर नं. (2) श्री राजीव कुमार शर्मा, पता-सिविल लाईन, रीवा (म.प्र.) पार्टनर नं. (5) श्री रोहित द्विवेदी, पता-द्वारिका नगर रीवा (म.प्र.) पार्टनर नं. (6) श्री नावेन्द्र पाण्डेय, पता-ग्राम मोहगढ़ डेलही, रीवा (म.प्र.) दिनांक 15-04-2015 को स्वेच्छा से फर्म से रिटायर हो गये हैं।

अतः जिस किसी को भागीदारी विलेख के संबंध में आपत्ति हो तो वह प्रकाशन दिनांक के एक सप्ताह के अन्दर आपत्ति दर्ज करें। अतः दिनांक 15-04-2015 से फर्म से निकलने वाले भागीदारों का फर्म की किसी भी गतिविधि से कोई लेना-देना नहीं होगा।

(164-बी.)

द्वारा-फर्म
मेसर्स शौर्य कॉन्स्ट्रक्शन कम्पनी,
अजय शुक्ला,
(पार्टनर)
503/6, शकुन्तला सदन, सिविल लाईन,
झिरिया, रीवा (म.प्र.).

विविध

आयुक्तों तथा जिलाध्यक्षों की सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर

ग्वालियर, दिनांक 10 जून, 2015

क्र./170/10 परीक्षा/पट.प्रशि./2015.—राज्य स्तरीय प्रशिक्षण संस्थान, ग्वालियर में निर्धारित परीक्षा केन्द्र में आयोजित पटवारी वार्षिक

परीक्षा माह जुलाई वर्ष 2015 सर्व-साधारण की जानकारी के लिए कार्यक्रम निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

| क्र. | दिनांक | परीक्षा का दिन | विषय | परीक्षा का समय |
|------|----------|----------------|--------------------------|---|
| 1. | 16-07-15 | गुरुवार | म.प्र. भू. राजस्व संहिता | प्रातः 9.00 से 12.00 बजे तक |
| 2. | 17-07-15 | शुक्रवार | म.प्र. भू. अभि. नियमावली | प्रातः 9.00 से 12.00 बजे तक |
| 3. | 20-07-15 | सोमवार | सर्वे सिद्धान्त | प्रातः 9.00 से 12.00 बजे तक |
| 4. | 21-07-15 | मंगलवार | तरतीब कागजात | प्रातः 9.00 से 12.00 बजे तक |
| 5. | 22-07-15 | बुधवार | कम्प्यूटर सैद्धान्तिक | प्रातः 9.00 से 12.00 बजे तक |
| 6. | 23-07-15 | गुरुवार | सर्वे/फील्ड बुक | प्रातः 8.00 से (परीक्षा की अवधि 1.00 घण्टा) |
| | 24-07-15 | शुक्रवार | | परीक्षा समूह में ली जावेगी. |
| | 25-07-15 | शनिवार | | |
| 7. | 27-07-15 | सोमवार | सर्वे/प्लाटिंग करना | प्रातः 9 बजे से परीक्षा समाप्ति तक परीक्षा अवधि 1.30 घण्टा होगी. (दिनांक 23, 24, एवं 25-7-15) को ली गयी परीक्षा की. |
| 8. | 28-07-15 | मंगलवार | कम्प्यूटर व्यवहारिक | प्रातः 9 बजे से परीक्षा समाप्ति तक परीक्षा अवधि 1.00 घण्टा होगी. |
| | 29-07-15 | बुधवार | | |
| | 30-07-15 | गुरुवार | | |

टीप :-

- सर्वे भू-मापन/कम्प्यूटर व्यवहारिक की परीक्षा में प्रत्येक परीक्षार्थी को 1.00 घण्टा एवं सर्वे प्लाटिंग के लिए 1.30 घण्टा समय निर्धारित है.
- इस परीक्षा में बैठने के लिए अनियमित उम्मीदवार इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी अपने जिले के अधीक्षक भू-अभिलेख अथवा पटवारी प्रशिक्षण शाला सागर/राज्य स्तरीय प्रशिक्षण संस्थान ग्वालियर से प्राप्त कर सकते हैं.
- अनियमित उम्मीदवार दिनांक 30-06-2015 तक अपने आवेदन-पत्र सम्बन्धित जिले में अनिवार्य रूप से जमा करें.

(आयुक्त भू-अभिलेख द्वारा अनुमोदित)

एस. एस. त्रिवेदी,

उप-आयुक्त,

वास्ते-आयुक्त भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त

मध्यप्रदेश.

(339)

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय पंजीयक, सार्वजनिक लोक-न्यास, ग्वालियर

प्र.क्र. 01/2014-15/बी-113(1).

ग्वालियर, दिनांक 08 जून, 2015

प्रारूप-4

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का तीसवां) की धारा-5 की उपधारा (2) और

मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम 1962 के नियम-5 (1) देखिए]

श्री प्रकाश खण्डेलवाल पुत्र स्व. श्री रामेश्वर दयाल, निवासी डी-90, सेक्टर-3, विनयनगर शहर व जिला ग्वालियर म.प्र. ने "श्री खण्डेलवाल वैश्य सदन न्यास" स्थित खण्डेलवाल धर्मशाला, खासगी बाजार, लश्कर, ग्वालियर ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का तीसवां) की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिये आवेदन किया है. एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मेरे न्यायालय में दिनांक 08 जुलाई, 2015 को विचार के लिये लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करता है.

अतः मैं, पंजीयक, लोक न्यास, जिला ग्वालियर का लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में नियत दिनांक 08 जुलाई, 2015 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) के द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ।

अतः एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी उसमें हित रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक अथवा अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिये। उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए प्रहण नहीं किया जावेगा।

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता तथा सम्पत्ति का वर्णन)

- | | | |
|---------------------|---|---|
| 1. लोक न्यास का नाम | : | “श्री खण्डेलवाल वैश्य सदन न्यास” |
| और पता | : | खण्डेलवाल धर्मशाला, खासगी बाजार, लश्कर, ग्वालियर. |
| 2. चल सम्पत्ति | : | 4,00,000/- रुपये. |
| 3. अचल सम्पत्ति | : | निरंक. |

महीप तेजस्वी,
पंजीयक.

(352)

अन्य सूचनाएं

कार्यालय परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 07 मई, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

सर्व-साधारण की जानकारी के लिये यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन, जिला उज्जैन के आदेश क्रमांक 956, उज्जैन, दिनांक 22 अप्रैल, 2015 के द्वारा मुझे कृषि नगर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन (पंजीयन क्रमांक 109, दिनांक 05 नवम्बर, 1985) का परिसमापक नियुक्त किया है।

अतः मैं, गिरीश शर्मा, परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अनुसार सर्व-साधारण की जानकारी के लिए सूचना-पत्र प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्था के विरुद्ध किसी का भी कोई लेना-देना निकल रहा हो, वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के दो माह के अन्दर अपने दावे प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन में प्रस्तुत करें। उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकॉर्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार की कार्यवाही की जाकर संस्था के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा।

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी व्यक्ति के पास इस समिति के सदस्यों या भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इस समिति की कोई लेखा पुस्तकें, रोकड़, चल-अचल सम्पत्तियों या अन्य कोई भी सामान तथा रिकॉर्ड आदि हो तो इस सूचना प्रकाशित होने के एक माह के अन्दर उक्त वर्णित कार्यालय में जमा कराकर रसीद प्राप्त करें, अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत होने के बाद किसी भी व्यक्ति के पास इन समिति की उपरोक्त चीजें होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी, जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा।

यह सम्यक् सूचना आज दिनांक 07 मई, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गयी।

गिरीश शर्मा,

परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.

(318)

कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता एवं उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 31 मार्च, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./उपंज./परि.2015/631.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंज/परि./1421, जबलपुर, दिनांक 02 जुलाई, 2013 के द्वारा संस्था टेलीग्राफ ट्रेनिंग कर्म. साख सहकारी समिति मर्या., जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1480 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के

अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री पुनीत तिवारी, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण-पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण), सहकारिता, जबलपुर से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, शिवम मिश्रा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत संस्था टेलीग्राफ ट्रेनिंग कर्म. साख सहकारी समिति मर्या., जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1480 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(319)

जबलपुर, दिनांक 31 मार्च, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./उपंज./परि.2015/632.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंज/परि./1526, जबलपुर, दिनांक 02 जुलाई, 2013 के द्वारा संस्था संगम आदि. खनिज उत्खनन सहकारी समिति मर्या., जुगपुरा, जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1722 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री एन. सी. सोनी, उप-अंकेक्षक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण-पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जबलपुर से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, शिवम मिश्रा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत संस्था संगम आदि. खनिज उत्खनन सहकारी समिति मर्या., जुगपुरा, जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1722 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(319-A)

जबलपुर, दिनांक 31 मार्च, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./उपंज./परि.2015/633.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंज/परि./1558, जबलपुर, दिनांक 02 जुलाई, 2013 के द्वारा संस्था माँ नर्मदा खनिज उत्खनन सहकारी समिति मर्या., रमखिरिया, जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1583 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री के. एल. पारोची, अंकेक्षक अधिकारी द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण-पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जबलपुर से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, शिवम मिश्रा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत संस्था माँ नर्मदा खनिज उत्खनन सहकारी समिति मर्या., रमखिरिया, जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1583 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(319-B)

जबलपुर, दिनांक 31 मार्च, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./उपंज./परि.2015/634.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंज./परि./1511, जबलपुर, दिनांक 02 जुलाई, 2013 के द्वारा संस्था राधारमण खनिज उत्खनन सहकारी समिति मर्या., जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1668 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री एम. एल. जैन, उप-अंके. द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण-पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जबलपुर से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, शिवम मिश्रा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत संस्था राधारमण खनिज उत्खनन सहकारी समिति मर्या., जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1668 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(319-C)

जबलपुर, दिनांक 31 मार्च, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./उपंज./परि.2015/635.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंज./परि./1609, जबलपुर, दिनांक 02 जुलाई, 2013 के द्वारा संस्था गुडविल प्राथ. उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1643 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री अमित ठाकुर, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण-पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जबलपुर से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, शिवम मिश्रा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत संस्था गुडविल प्राथ. उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1643 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(319-D)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./उपंज./परि.2015/636.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंज./परि./1029, जबलपुर, दिनांक 11 मई, 2000 के द्वारा संस्था मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल द्वितीय श्रेणी अधिकारी गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 229, दिनांक 25 अक्टूबर, 1991 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री के. के. तिवारी, उप अंकेक्षक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण-पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जबलपुर से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर एवं संस्था की अंकेक्षण टीप में व प्रतिवेदन में संस्था के पास कोई भूमि शेष न रहने से संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, शिवम मिश्रा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल द्वितीय श्रेणी अधिकारी गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 229, दिनांक 25 अक्टूबर, 1991 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(319-E)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./उपंज./परि.2015/637.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंज./परि./1582, जबलपुर दिनांक 02 जुलाई, 2013 के द्वारा संस्था जय लेबर कान्ट्रेक्टर सहकारी समिति मर्या., जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1869 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री ललित जैन, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण-पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जबलपुर से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, शिवम मिश्रा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत संस्था जय लेबर कान्ट्रेक्टर सहकारी समिति मर्या., जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1869 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(319-F)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./उपंज./परि.2015/638.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंज./परि./1550, जबलपुर दिनांक 02 जुलाई, 2013 के द्वारा संस्था महिला हरिजन एवं आदि. खनिज उत्ख. काम. सहकारी समिति मर्या., भाटादोन सिहोरा, जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1808 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री पी. एस. ठाकुर, अंके. अधिकारी द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण-पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जबलपुर से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, शिवम मिश्रा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत संस्था महिला हरिजन एवं आदि. खनिज उत्ख. काम. सहकारी समिति मर्या., भाटादोन सिहोरा, जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1808 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(319-G)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./उपंज./परि.2015/639.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंज./परि./1406, जबलपुर दिनांक 02 जुलाई, 2013 के द्वारा संस्था शिक्षक कल्याण साख सहकारी समिति मर्या., जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 56 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री एस. बी. यादव, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण-पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जबलपुर से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं

होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मैं, शिवम मिश्रा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत संस्था शिक्षक कल्याण साख सहकारी समिति मर्या., जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 56 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी।

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(319-H)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./उपंज./परि.2015/640.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंज./परि./1601, जबलपुर दिनांक 02 जुलाई, 2013 के द्वारा संस्था गोडवाना कामगार कारीगर खनिज सहकारी समिति मर्या., जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1695 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री अमित ठाकुर, सह. निरी. द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण-पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जबलपुर से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मैं, शिवम मिश्रा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत संस्था गोडवाना कामगार कारीगर खनिज सहकारी समिति मर्या., जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1695 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी।

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

शिवम मिश्रा,

उप-आयुक्त (सहकारिता).

(319-I)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सागर

सागर, दिनांक 31 मार्च, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि.2015/484.—ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., कटरा सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर (मध्यप्रदेश) जिसका पंजीयन क्रमांक 1216, दिनांक 13 दिसम्बर, 2005 है. कार्यालयीन आदेश क्रमांक/विधि/754, दिनांक 24 अप्रैल, 2013 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक श्री एच. के. मिश्रा, सहकारी निरीक्षक/सहकारिता विस्तार अधिकारी, सागर, जिला सागर द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, संजय नायक, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर (मध्यप्रदेश), मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., कटरा सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर (मध्यप्रदेश) जिसका पंजीयन क्रमांक 1216, दिनांक 13 दिसम्बर, 2005, है का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम-निकाय (बॉडी कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(320)

सागर, दिनांक 31 मार्च, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि.2015/485.—महिला विकास सहकारी समिति मर्या., तिलीवाड़ सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर (मध्यप्रदेश) जिसका

पंजीयन क्रमांक 1175, दिनांक 15 फरवरी, 2005 है, का कार्यालयीन आदेश क्रमांक/विधि/723, दिनांक 24 अप्रैल, 2013 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक श्री एच. के. मिश्रा, सहकारी निरीक्षक/सहकारिता विस्तार अधिकारी, सागर, जिला सागर द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, संजय नायक, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, (मध्यप्रदेश), मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महिला विकास सहकारी समिति मर्या., तिलीवाड़ सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर (मध्यप्रदेश) जिसका पंजीयन क्रमांक 1175, दिनांक 15 फरवरी, 2005 है, का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम-निकाय (बॉडी कापॉरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(320-A)

सागर, दिनांक 31 मार्च, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि.2015/486.—महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., कुड़ारी, विकासखण्ड सागर, जिला सागर (मध्यप्रदेश) जिसका पंजीयन क्रमांक 816, दिनांक 08 मई, 2002 है, का कार्यालयीन आदेश क्रमांक/विधि/765, दिनांक 24 अप्रैल, 2013 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक श्री एच. के. मिश्रा, सहकारी निरीक्षक/सहकारिता विस्तार अधिकारी, सागर, जिला सागर द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, संजय नायक, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, (मध्यप्रदेश), मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., कुड़ारी, विकासखण्ड सागर, जिला सागर (मध्यप्रदेश) जिसका पंजीयन क्रमांक 816, दिनांक 08 मई, 2002 है, का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम-निकाय (बॉडी कापॉरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(320-B)

सागर, दिनांक 31 मार्च, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि.2015/487.—दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., अगरा, विकासखण्ड सागर, जिला सागर (मध्यप्रदेश) जिसका पंजीयन क्रमांक 390, दिनांक 02 अगस्त, 1984 है, का कार्यालयीन आदेश क्रमांक/विधि/954, दिनांक 31 मार्च, 2005 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक श्री आर. सी. रोहित, विस्तार पर्यवेक्षक, बुन्देलखण्ड डेयरी विकास परियोजना, सागर, जिला सागर द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, संजय नायक, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर (मध्यप्रदेश), मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, द्वारा दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., अगरा, विकासखण्ड सागर, जिला सागर (मध्यप्रदेश) जिसका पंजीयन क्रमांक 390, दिनांक 02 अगस्त, 1984 है, का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम-निकाय (बॉडी कापॉरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(320-C)

सागर, दिनांक 31 मार्च, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि.2015/488.—शारदा महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., भोजपुरा गढ़पहरा, विकासखण्ड सागर, जिला सागर (मध्यप्रदेश) जिसका पंजीयन क्रमांक 828, दिनांक 20 मई, 2002 है, का कार्यालयीन आदेश क्रमांक/विधि/747, दिनांक 24 अप्रैल, 2013 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक श्री एच. के. मिश्रा, सहकारी निरीक्षक/सहकारिता विस्तार अधिकारी, सागर, जिला सागर द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, संजय नायक, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर (मध्यप्रदेश), मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए शारदा महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., भोजपुरा गढ़पहरा, विकासखण्ड सागर, जिला सागर (मध्यप्रदेश) जिसका पंजीयन क्रमांक 828, दिनांक 20 मई, 2002 है, का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम-निकाय (बॉडी कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(320-D)

सागर, दिनांक 31 मार्च, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि.2015/489.—महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., बंसिया-बरोदा, विकासखण्ड सागर, जिला सागर (मध्यप्रदेश) जिसका पंजीयन क्रमांक 956, दिनांक 28 सितम्बर, 2002 है, का कार्यालयीन आदेश क्रमांक/विधि/707, दिनांक 24 अप्रैल, 2013 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक श्री एच. के. मिश्रा, सहकारी निरीक्षक/सहकारिता विस्तार अधिकारी, सागर, जिला सागर द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, संजय नायक, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर (मध्यप्रदेश), मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., बंसिया-बरोदा, विकासखण्ड सागर, जिला सागर (मध्यप्रदेश) जिसका पंजीयन क्रमांक 956, दिनांक 28 सितम्बर, 2002 है, का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम-निकाय (बॉडी कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(320-E)

सागर, दिनांक 31 मार्च, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि.2015/490.—महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., गिदवानी, विकासखण्ड सागर, जिला सागर (मध्यप्रदेश) जिसका पंजीयन क्रमांक 1181, दिनांक 25 फरवरी, 2005 है, का कार्यालयीन आदेश क्रमांक/विधि/703, दिनांक 24 अप्रैल, 2013 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक श्री एच. के. मिश्रा, सहकारी निरीक्षक/सहकारिता विस्तार अधिकारी, सागर, जिला सागर द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, संजय नायक, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर (मध्यप्रदेश), मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., गिदवानी, विकासखण्ड सागर, जिला सागर (मध्यप्रदेश) जिसका पंजीयन क्रमांक 1181, दिनांक 25 फरवरी, 2005 है, का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम-निकाय (बॉडी कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(320-F)

सागर, दिनांक 31 मार्च, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि.2015/491.—महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., पथरिया हाट, विकासखण्ड सागर, जिला सागर (मध्यप्रदेश) जिसका पंजीयन क्रमांक 887, दिनांक 27 जुलाई, 2002 है, का कार्यालयीन आदेश क्रमांक/विधि/708, दिनांक 24 अप्रैल, 2013 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक श्री एच. के. मिश्रा, सहकारी निरीक्षक/सहकारिता विस्तार अधिकारी, सागर, जिला सागर द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, संजय नायक, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर (मध्यप्रदेश), मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., पथरिया हाट, विकासखण्ड सागर, जिला सागर (मध्यप्रदेश) जिसका पंजीयन क्रमांक 887, दिनांक 27 जुलाई, 2002 है, का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम-निकाय (बॉडी कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(320-G)

सागर, दिनांक 31 मार्च, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि.2015/492.—महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., बेरखेड़ी-सुवंश, विकासखण्ड सागर, जिला सागर (मध्यप्रदेश) जिसका पंजीयन क्रमांक 886, दिनांक 27 जुलाई, 2002 है, का कार्यालयीन आदेश क्रमांक/विधि/709, दिनांक 24 अप्रैल, 2013 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक श्री एच. के. मिश्रा, सहकारी निरीक्षक/सहकारिता विस्तार अधिकारी, सागर, जिला सागर द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, संजय नायक, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर (मध्यप्रदेश), मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., बेरखेड़ी-सुवंश, विकासखण्ड सागर, जिला सागर (मध्यप्रदेश) जिसका पंजीयन क्रमांक 886, दिनांक 27 जुलाई, 2002 है, का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम-निकाय (बॉडी कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(320-H)

सागर, दिनांक 31 मार्च, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि.2015/493.—आजीवन आरोग्य सहकारी समिति मर्या., सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर (मध्यप्रदेश) जिसका पंजीयन क्रमांक 139, दिनांक 02 सितम्बर, 2004 है, का कार्यालयीन आदेश क्रमांक/विधि/764, दिनांक 24 अप्रैल, 2013 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक श्री एच. के. मिश्रा, सहकारी निरीक्षक/सहकारिता विस्तार अधिकारी, सागर, जिला सागर द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, संजय नायक, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर (मध्यप्रदेश), मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आजीवन आरोग्य सहकारी समिति मर्या., सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर (मध्यप्रदेश) जिसका पंजीयन क्रमांक 139, दिनांक 02 सितम्बर, 2004 है, का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम-निकाय (बॉडी कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(320-I)

संजय नायक,
उप-पंजीयक.

कार्यालय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना

मुरैना, दिनांक 31 मार्च, 2015

क्र./परि./2015/686.—मुरैना जिले में परिसमापनाधीन निम्न सहकारी संस्थाओं के परिसमापकों द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन से अवगत कराया है कि संस्थाओं में कोई देनदारियां-लेनदारियां शेष नहीं हैं।

परिसमापक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर निम्न सहकारी संस्थाओं के पंजीयन को समक्ष दर्शित आदेश से मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत निरस्त किया जा चुका है।

अतएव निम्न संस्थाओं का अस्तित्व आदेश दिनांक से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा :-

| क्र. | संस्था का नाम | पंजीयन क्रमांक/दिनांक | पंजीयन निरस्ती आदेश क्रमांक/दिनांक |
|------|---|-----------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बनवारा | 763/23-05-1988 | 647/31-03-2015 |
| 2. | तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मांगरोल | 656/20-03-1987 | 648/31-03-2015 |
| 3. | तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रामपुरकलां | 658/20-03-1987 | 649/31-03-2015 |
| 4. | तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., भटपुरा | 764/23-03-1988 | 650/31-03-2015 |
| 5. | ईट-भट्टा उद्योग सहकारी संस्था मर्या., झुण्डपुरा | 1890/15-01-1990 | 651/31-03-2015 |
| 6. | सर्वहारा मजदूरी सहकारी संस्था मर्या., सबलगढ़ | 1125/30-12-1997 | 652/31-03-2015 |
| 7. | गायत्री फल साग-भाजी सहकारी संस्था मर्या., सबलगढ़ | 1102/16-10-1996 | 653/31-03-2015 |
| 8. | तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बक्सपुर | 750/24-03-1988 | 654/31-03-2015 |
| 9. | तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रामपहाड़ी | 657/20-03-1987 | 655/31-03-2015 |
| 10. | फल, साग-भाजी सहकारी संस्था मर्या., रिझानी | 1122/21-03-1997 | 656/31-03-2015 |
| 11. | कामगार कारीगर सहकारी संस्था मर्या., चौकी | 215/31-01-1964 | 657/31-03-2015 |
| 12. | चम्बल फल, साग-भाजी सहकारी संस्था मर्या., सबलगढ़ | 1101/11-10-1996 | 658/31-03-2015 |
| 13. | आदर्श फल, साग-भाजी सहकारी संस्था मर्या., सबलगढ़ | 1041/19-09-1996 | 669/31-03-2015 |
| 14. | महारानी लक्ष्मीबाई प्राथ. उप. सह. भण्डार मर्या., मुरैना | 239/01-04-1955 | 660/31-03-2015 |
| 15. | बाहुबली फल, साग-भाजी सहकारी संस्था मर्या., गोसपुर | 1050/28-05-1995 | 661/31-03-2015 |
| 16. | कामगार कारीगर सहकारी संस्था मर्या., राजघाट | 926/09-02-1990 | 662/31-03-2015 |
| 17. | एडवोकेट जय निर्माण सहकारी संस्था मर्या., मुरैना | 637/01-01-1982 | 663/31-03-2015 |
| 18. | अशोक गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., मुरैना | 41/08-01-1960 | 664/31-03-2015 |
| 19. | चित्रगुप्त साख सहकारी संस्था मर्या., मुरैना | 5533/24-01-1959 | 665/31-03-2015 |
| 20. | फल, साग-भाजी सहकारी संस्था मर्या., महुआ | 1108/30-10-1996 | 667/31-03-2015 |
| 21. | नागाजी फल, साग-भाजी धर्मगढ़ | 1049/28-08-1995 | 668/31-03-2015 |
| 22. | श्रीराम फल साग-भाजी सहकारी संस्था मर्या., उसैदघाट | 1081/24-07-1996 | 666/31-03-2015 |
| 23. | ईट-भट्टा उद्योग सहकारी संस्था मर्या., कसमड़ा | 204/19-09-1990 | 670/31-03-2015 |
| 24. | कांस्ट्रक्शन मटेरियल सहकारी संस्था मर्या., भजपुरा | 497/28-08-1981 | 669/31-03-2015 |
| 25. | दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., वीरमपुरा | 845/30-06-1988 | 671/31-03-2015 |
| 26. | दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कीर्तपुर | 559/13-03-1984 | 672/31-03-2015 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|--|-----------------|-----------------|
| 27. | दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., निटहरा | 560/13-03-1984 | 673/31-03-2015 |
| 28. | दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कुम्हेरी | 540/26-05-1982 | 674/31-03-2015 |
| 29. | दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., धन्नूपुरा | 902/07-11-1989 | 675/31-03-2015 |
| 30. | दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सांटा | 901/07-11-1989 | 676/31-03-2015 |
| 31. | दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., स्यारू | 896/07-11-1989 | 677/31-03-2015 |
| 32. | दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सिहोरी | 678/28-04-1987 | 678/31-03-2015 |
| 33. | दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कुतवार | 568/13-03-1984 | 679/31-03-2015 |
| 34. | दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., उम्मेदगढ़ बासी | 550/27-05-1983 | 680/31-03-2015 |
| 35. | दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., भटपुरा नदी | 1180/18-01-2002 | 681/31-03-2015 |
| 36. | दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मोहकम सिंह का पुरा | 925/16-10-1990 | 682/31-03-2015 |
| 37. | दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बावरीपुरा | 924/16-01-1990 | 683/31-03-2015 |
| 38. | दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बरेण्डा | 563/13-03-1984 | 684/31-03-2015 |
| 39. | दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., चौखूटी | 880/04-02-1989 | 685/31-03-2015 |
| 40. | दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गड़ीयापोरसा | 830/27-01-1989 | 2025/22-12-2014 |
| 41. | दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., म्यासी | 1024/31-03-1991 | 2026/22-12-2014 |
| 42. | दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., भजपुरा | 1125/31-03-1995 | 2027/22-12-2014 |

कृपया उक्त संस्थाओं के पंजीयन निरस्ती से सर्व-संबंधित सूचित हों।

(321)

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 के अन्तर्गत]

निम्न सहकारी संस्थाएं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अंतर्गत पंजीकृत हैं इन संस्थाओं को कार्यालयीन पत्र दिनांक 01 अक्टूबर, 2014 से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु सूचना-पत्र जारी किये गये। परन्तु उत्तर अप्राप्त रहा, साथ ही कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/1945, दिनांक 04 दिसम्बर, 2014 से सूचना-पत्र मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित कराया गया जो मध्यप्रदेश राजपत्र के भाग—3 (1) में दिनांक 20 दिसम्बर, 2014 को प्रकाशित हुआ।

परन्तु संस्थाओं की ओर से कोई लिखित/मौखिक पक्ष समर्थन नहीं किया गया जो इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिये पर्याप्त है कि संस्थाएं बन्द हैं एवं इनके वर्तमान में कार्यशील होने की कोई कार्य योजना नहीं है। सहायक आयुक्त (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला मुरैना द्वारा पूर्व में इन्हें परिसमापन में लाये जाने की अनुशंसा की जा चुकी है जो यह दर्शाता है कि संस्थाएं पत्रक के आधार पर अकार्यशील हैं। अतः निम्न संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाना उचित है।

अतः मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 में प्रदत्त शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ/5-1-99-पन्द्रह, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये निम्न सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री विजय गौतम, सहकारिता विस्तार अधिकारी, मुरैना/जौरा को परिसमापक नियुक्त करता हूँ तथा आदेशित करता हूँ कि सहकारिता अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के अनुसार संस्थाओं की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर अंतिम प्रतिवेदन यथाशीघ्र प्रस्तुत किया जावे :-

| क्र. | संस्था का नाम | पंजीयन क्रमांक/दिनांक |
|------|--|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | नारी कल्याण सहकारी संस्था मर्या., नूराबाद | 530/30-12-1982 |
| 2. | महिला कल्याण उद्योग सहकारी संस्था मर्या., सिहोरी | 506/04-11-1981 |

| 1 | 2 | 3 |
|-----|---|-----------------|
| 3. | बैलगाड़ी उद्योग सहकारी संस्था मर्या., मुरैना | 559/04-12-1982 |
| 4. | नारी कल्याण सहकारी संस्था मर्या., मुरैना | 521/15-11-1981 |
| 5. | कुक्कुट पालन उद्योग सहकारी संस्था मर्या., मुरैना | 1341/22-08-2007 |
| 6. | भवन सामग्री सहकारी संस्था मर्या., जीवाजीगंज, मुरैना | 520/05-07-1987 |
| 7. | ईट-चूना सहकारी संस्था मर्या., दत्तपुरा मुरैना | 460/03-02-1980 |
| 8. | भवन सामग्री सहकारी संस्था मर्या., खांडौली | 484/25-08-1987 |
| 9. | लुहारी-सुतारी सहकारी संस्था मर्या., सिहोरी | 511/06-11-1961 |
| 10. | सुधा क्रय-विक्रय सहकारी संस्था मर्या., जौरा | 1377/16-12-2011 |

यह आदेश आज दिनांक 11 मई, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(321-A)

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 के अन्तर्गत]

निम्न सहकारी संस्थाएं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अंतर्गत पंजीकृत हैं। इन संस्थाओं को कार्यालयीन पत्र दिनांक 03 दिसम्बर, 2014 से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु सूचना-पत्र जारी किये गये परन्तु उत्तर अप्राप्त रहा, साथ ही कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/1945, दिनांक 04 दिसम्बर, 2014 से सूचना-पत्र मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित कराया गया जो मध्यप्रदेश राजपत्र के भाग 3 (1) में दिनांक 20 दिसम्बर, 2014 को प्रकाशित हुआ।

परन्तु संस्थाओं की ओर से कोई लिखित/मौखिक पक्ष समर्थन नहीं किया गया जो इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिये पर्याप्त है कि संस्थाएं बन्द हैं एवं इनके वर्तमान में कार्यशील होने की कोई कार्य योजना नहीं है। सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जिला मुरैना द्वारा पूर्व में इन्हें परिसमापन में लाये जाने की अनुशंसा की जा चुकी है जो यह दर्शाता है कि संस्थाएं पत्रक के आधार पर अकार्यशील हैं। अतः निम्न संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाना उचित है।

अतः मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 में प्रदत्त शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ/5-1-99-पन्द्रह, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये निम्न सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाता हूँ तथा प्रभारी प्रबंधक दुग्ध संघ ग्वालियर श्री विजय अग्रवाल, को परिसमापक नियुक्त करता हूँ तथा आदेशित करता हूँ कि सहकारिता अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के अनुसार संस्थाओं की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर अंतिम प्रतिवेदन यथाशीघ्र प्रस्तुत किया जावे :-

| क्र. | संस्था का नाम | पंजीयन क्रमांक/दिनांक |
|------|---|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गुढ़ा चंबल | 690/27-08-1987 |
| 2. | दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., चचिहा | 911/07-11-1989 |
| 3. | दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., उरहेरा | 919/07-11-1989 |
| 4. | दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., हारगांगोली | 923/07-11-1989 |
| 5. | दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., दोनारी | 967/27-10-1993 |
| 6. | दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., महाराज सिंह का पुरा | 1158/15-12-2000 |
| 7. | दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मेद का पुरा | 1204/31-03-2003 |
| 8. | दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मोदनाभीकम | 1222/30-04-2004 |
| 9. | दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खुटियानी वेहड़ | 1221/26-04-2004 |
| 10. | दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., आमपुरा | 1233/30-04-2004 |

| 1 | 2 | 3 |
|-----|---|-----------------|
| 11. | दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., विसंगपुरा | 1187/31-01-2001 |
| 12. | दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बिलगांव | 534/26-05-1982 |
| 13. | दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सुमावली | 536/26-05-1982 |
| 14. | दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बागचीनी | 538/26-05-1982 |

यह आदेश आज दिनांक 11 मई, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

उपेन्द्र सिंह,
उप-पंजीयक.

(321-B)

कार्यालय उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला सीधी

सीधी, दिनांक 01 अप्रैल, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2015/240.—निम्नानुसार सूची के कॉलम क्रमांक 2 में उल्लेखित सहकारी संस्थाओं को अधिनियम की धारा-69 (3) अन्तर्गत उनके समक्ष कॉलम क्रमांक 4 में दर्शित जारी कार्यालयीन सूचना-पत्रों के द्वारा संस्था हित के बजाय व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह के लिये कार्य करने, उद्देश्यों की पूर्ति में विफल रहने, अधिनियम/नियम एवं उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं किये जाने, संस्था के संचालक मण्डल द्वारा संस्था की आर्थिक स्थिति को मजबूत नहीं कर पाने, संस्था के विगत वर्षों से अकार्यशील रहने एवं प्रावधानों के अनुरूप नियत समयावधि में संचालक मण्डल के निर्वाचन में असफल रहने के कारणों के आधार पर सूचना-पत्र जारी किया जाकर तीन सप्ताह में जवाब चाहा गया था. किन्तु उक्त संस्थाओं द्वारा आज दिनांक तक या तो जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया अथवा उनके द्वारा प्रस्तुत जवाब संतोष कारक नहीं पाया गया.

अतः मैं, आर. पी. पाल, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला सीधी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुए सूची में उल्लेखित संस्थाओं को परिसमापन अन्तर्गत लाते हुए अधिनियम की धारा-70 (1) अन्तर्गत उनके समक्ष कॉलम क्रमांक 5 में उल्लेखित विभागीय कार्यपालिक अधिकारियों/कर्मचारियों को उनका समापक नियुक्त करता हूँ :-

| क्र. | संस्था का नाम | पंजीयन क्रमांक/दिनांक | सूचना-पत्र का क्रमांक/दिनांक | समापक का नाम एवं पद |
|------|---|--------------------------|---------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | प्रगति गृह निर्माण सहकारी समिति, सीधी | 455/11-01-1985 | 612/05-08-2014 | श्री एस. एन. सिंह, वरि. सहकारी निरीक्षक |
| 2. | महिला दुग्ध उत्पा. सहकारी समिति मर्या., ममदर. | 1123/19-04-2010 | 613/05-08-2014 | श्री के. एल. कमरानी, सहकारी निरीक्षक |
| 3. | महिला दुग्ध उत्पा. सहकारी समिति मर्या., डिठौरा. | 1127/14-05-2010 | 614/05-08-2014 | श्री के. एल. कमरानी, सहकारी निरीक्षक |
| 4. | दुग्ध उत्पा. सहकारी समिति मर्या., कोदौरा | 1128/28-05-2010 | 615/05-08-2014 | श्री बी. के. सोंधिया, वरि. सहकारी निरीक्षक |
| 5. | दुग्ध उत्पा. सहकारी समिति मर्या., बड़ागांव | 1129/28-05-2010 | 616/05-08-2014 | श्री बी. के. सोंधिया, वरि. सहकारी निरीक्षक |
| 6. | दुग्ध उत्पा. सहकारी समिति मर्या., तेन्दुहा | 1133/05-08-2010 | 617/05-08-2014 | श्री बी. के. सोंधिया, वरि. सहकारी निरीक्षक |
| 7. | दुग्ध उत्पा. सहकारी समिति मर्या., कुचवाही | 1134/18-08-2010 | 618/05-08-2014 | श्री श्रीधर गुप्ता, सहकारी निरीक्षक |
| 8. | दुग्ध उत्पा. सहकारी समिति मर्या., गजरही उन्मुक्त. | 1135/18-08-2010 | 619/05-08-2014 | श्री श्रीधर गुप्ता, सहकारी निरीक्षक |
| 9. | दुग्ध उत्पा. सहकारी समिति मर्या., मझरेटी कोठार. | 1136/18-08-2010 | 620/05-08-2014 | श्री बी. के. सोंधिया, वरि. सहकारी निरीक्षक |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|---|-----------------|----------------|--|
| 10. | दुग्ध उत्पा. सहकारी समिति मर्या., जनकपुर | 1137/25-08-2010 | 621/05-08-2014 | श्री श्रीधर गुप्ता, सहकारी निरीक्षक |
| 11. | दुग्ध उत्पा. सहकारी समिति मर्या., कुशियारी | 1138/25-08-2010 | 622/05-08-2014 | श्री श्रीधर गुप्ता, सहकारी निरीक्षक |
| 12. | दुग्ध उत्पा. सहकारी समिति मर्या., तेन्दुहा नं.1 | 1139/25-08-2010 | 623/05-08-2014 | श्री श्रीधर गुप्ता, सहकारी निरीक्षक |
| 13. | महिला दुग्ध उत्पा. सहकारी समिति मर्या., घटोखर. | 1140/25-08-2010 | 624/05-08-2014 | श्री के. एल. कमरानी, सहकारी निरीक्षक |
| 14. | महिला दुग्ध उत्पा. सहकारी समिति मर्या., पटना. | 1141/25-08-2010 | 625/05-08-2014 | श्री के. एल. कमरानी, सहकारी निरीक्षक |
| 15. | महिला दुग्ध उत्पा. सहकारी समिति मर्या., चन्द्रेह. | 1142/25-08-2010 | 626/05-08-2014 | श्री के. एल. कमरानी, सहकारी निरीक्षक |
| 16. | दुग्ध उत्पा. सहकारी समिति मर्या., हटवा | 1143/28-08-2010 | 627/05-08-2014 | श्री श्रीधर गुप्ता, सहकारी निरीक्षक |
| 17. | दुग्ध उत्पा. सहकारी समिति मर्या., भनवारी | 1145/28-08-2010 | 628/05-08-2014 | श्री श्रीधर गुप्ता, सहकारी निरीक्षक |
| 18. | महिला दुग्ध उत्पा. सहकारी समिति मर्या., बड़खरा 739. | 1146/28-08-2010 | 629/05-08-2014 | श्री हरी राम पनिका, वरि. सहकारी निरीक्षक |
| 19. | महिला दुग्ध उत्पा. सहकारी समिति मर्या., बड़खरा 740. | 1147/28-08-2010 | 630/05-08-2014 | श्री हरी राम पनिका, वरि. सहकारी निरीक्षक |
| 20. | दुग्ध उत्पा. सहकारी समिति मर्या., रघुनाथपुर | 1148/31-08-2010 | 631/05-08-2014 | श्री के. एल. कमरानी, सहकारी निरीक्षक |
| 21. | दुग्ध उत्पा. सहकारी समिति मर्या., रतवार | 1149/31-08-2010 | 632/05-08-2014 | श्री के. एल. कमरानी, सहकारी निरीक्षक |
| 22. | दुग्ध उत्पा. सहकारी समिति मर्या., खजूरिहा | 1151/31-08-2010 | 633/05-08-2014 | श्री के. एल. कमरानी, सहकारी निरीक्षक |
| 23. | दुग्ध उत्पा. सहकारी समिति मर्या., बागड़ | 1153/31-08-2010 | 634/05-08-2014 | श्री के. एल. कमरानी, सहकारी निरीक्षक |
| 24. | महिला दुग्ध उत्पा. सहकारी समिति मर्या., मोहनिया. | 1156/01-09-2010 | 635/05-08-2014 | श्री हरी राम पनिका, वरि. सहकारी निरीक्षक |
| 25. | महिला दुग्ध उत्पा. सहकारी समिति मर्या., साड़ा. | 1157/01-09-2010 | 636/05-08-2014 | श्री हरी राम पनिका, वरि. सहकारी निरीक्षक |
| 26. | महिला दुग्ध उत्पा. सहकारी समिति मर्या., टकटैया. | 1158/01-09-2010 | 637/05-08-2014 | श्री हरी राम पनिका, वरि. सहकारी निरीक्षक |
| 27. | महिला दुग्ध उत्पा. सहकारी समिति मर्या., मरसरहा. | 1160/01-09-2010 | 638/05-08-2014 | श्री श्रीधर गुप्ता, सहकारी निरीक्षक |
| 28. | महिला दुग्ध उत्पा. सहकारी समिति मर्या., कोष्टा कोठार. | 1161/07-09-2010 | 639/05-08-2014 | श्री हरी राम पनिका, वरि. सहकारी निरीक्षक |
| 29. | महिला दुग्ध उत्पा. सहकारी समिति मर्या., बड़ोखर. | 1162/13-09-2010 | 640/05-08-2014 | श्री हरी राम पनिका, वरि. सहकारी निरीक्षक |
| 30. | महिला दुग्ध उत्पा. सहकारी समिति मर्या., बड़ोखर 734. | 1163/13-09-2010 | 641/05-08-2014 | श्री हरी राम पनिका, वरि. सहकारी निरीक्षक |
| 31. | महिला दुग्ध उत्पा. सहकारी समिति मर्या., मेंडवा. | 1166/16-09-2010 | 642/05-08-2014 | श्री एस. एन. सिंह, वरि. सहकारी निरीक्षक |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|---|-----------------|----------------|--|
| 32. | महिला दुग्ध उत्पा. सहकारी समिति मर्या., उपनी. | 1167/16-09-2010 | 643/05-08-2014 | श्री मदन सिंह उइके, वरि. सहकारी निरीक्षक |
| 33. | महिला दुग्ध उत्पा. सहकारी समिति मर्या., जोगीपुर दक्षिण. | 1168/16-09-2010 | 644/05-08-2014 | श्री मदन सिंह उइके, वरि. सहकारी निरीक्षक |
| 34. | महिला दुग्ध उत्पा. सहकारी समिति मर्या., पनवार चौ. टोला. | 1169/16-09-2010 | 645/05-08-2014 | श्री मदन सिंह उइके, वरि. सहकारी निरीक्षक |
| 35. | महिला दुग्ध उत्पा. सहकारी समिति मर्या., पहाड़ी. | 1171/21-09-2010 | 646/05-08-2014 | श्री बी. के. सोंधिया, वरि. सहकारी निरीक्षक |
| 36. | महिला दुग्ध उत्पा. सहकारी समिति मर्या., दुअरा. | 1176/21-09-2010 | 647/05-08-2014 | श्री श्रीधर गुप्ता, सहकारी निरीक्षक |
| 37. | महिला दुग्ध उत्पा. सहकारी समिति मर्या., चदैनिया. | 1177/21-09-2010 | 648/05-08-2014 | श्री हरी राम पनिका, वरि. सहकारी निरीक्षक |
| 38. | महिला दुग्ध उत्पा. सहकारी समिति मर्या., पचोखर. | 1178/21-09-2010 | 649/05-08-2014 | श्री हरी राम पनिका, वरि. सहकारी निरीक्षक |
| 39. | महिला दुग्ध उत्पा. सहकारी समिति मर्या., कपुरी बधेलान. | 1179/21-09-2010 | 650/05-08-2014 | श्री हरी राम पनिका, वरि. सहकारी निरीक्षक |
| 40. | महिला दुग्ध उत्पा. सहकारी समिति मर्या., कुबरी. | 1180/22-09-2010 | 651/05-08-2014 | श्री श्रीधर गुप्ता, सहकारी निरीक्षक |
| 41. | दुग्ध उत्पा. सहकारी समिति मर्या., लौआ | 1181/22-09-2010 | 652/05-08-2014 | श्री बी. के. सोंधिया, वरि. सहकारी निरीक्षक |
| 42. | महिला दुग्ध उत्पा. सहकारी समिति मर्या., कोल्हूडीह. | 1182/22-09-2010 | 653/05-08-2014 | श्री मदन सिंह उइके, वरि. सहकारी निरीक्षक |
| 43. | महिला दुग्ध उत्पा. सहकारी समिति मर्या., मड़वा. | 1183/22-09-2010 | 654/05-08-2014 | श्री श्रीधर गुप्ता, सहकारी निरीक्षक |
| 44. | महिला दुग्ध उत्पा. सहकारी समिति मर्या., शिवपुरवा नं. 1. | 1185/23-09-2010 | 655/05-08-2014 | श्री मदन सिंह उइके, वरि. सहकारी निरीक्षक |
| 45. | महिला दुग्ध उत्पा. सहकारी समिति मर्या., छुहिया. | 1186/23-09-2010 | 656/05-08-2014 | श्री बी. के. सोंधिया, वरि. सहकारी निरीक्षक |
| 46. | महिला दुग्ध उत्पा. सहकारी समिति मर्या., डेम्हा. | 1187/23-09-2010 | 657/05-08-2014 | श्री मदन सिंह उइके, वरि. सहकारी निरीक्षक |
| 47. | महिला दुग्ध उत्पा. सहकारी समिति मर्या., नौगवां धीरसिंह. | 1188/23-09-2010 | 658/05-08-2014 | श्री मदन सिंह उइके, वरि. सहकारी निरीक्षक |
| 48. | महिला दुग्ध उत्पा. सहकारी समिति मर्या., अमरवाह. | 1189/23-09-2010 | 659/05-08-2014 | श्री मदन सिंह उइके, वरि. सहकारी निरीक्षक |
| 49. | महिला दुग्ध उत्पा. सहकारी समिति मर्या., चौफाल कोठार. | 1190/24-09-2010 | 660/05-08-2014 | श्री मदन सिंह उइके, वरि. सहकारी निरीक्षक |
| 50. | महिला दुग्ध उत्पा. सहकारी समिति मर्या., बेन्दुआ. | 1191/24-09-2010 | 661/05-08-2014 | श्री एस. एन. सिंह, वरि. सहकारी निरीक्षक |
| 51. | महिला दुग्ध उत्पा. सहकारी समिति मर्या., कोचिटा. | 1192/24-09-2010 | 662/05-08-2014 | श्री मदन सिंह उइके, वरि. सहकारी निरीक्षक |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|---|-----------------|----------------|--|
| 32. | महिला दुग्ध उत्पा. सहकारी समिति मर्या., उपनी. | 1167/16-09-2010 | 643/05-08-2014 | श्री मदन सिंह उइके, वरि. सहकारी निरीक्षक |
| 33. | महिला दुग्ध उत्पा. सहकारी समिति मर्या., जोगीपुर दक्षिण. | 1168/16-09-2010 | 644/05-08-2014 | श्री मदन सिंह उइके, वरि. सहकारी निरीक्षक |
| 34. | महिला दुग्ध उत्पा. सहकारी समिति मर्या., पनवार चौ. टोला. | 1169/16-09-2010 | 645/05-08-2014 | श्री मदन सिंह उइके, वरि. सहकारी निरीक्षक |
| 35. | महिला दुग्ध उत्पा. सहकारी समिति मर्या., पहाड़ी. | 1171/21-09-2010 | 646/05-08-2014 | श्री बी. के. सोंधिया, वरि. सहकारी निरीक्षक |
| 36. | महिला दुग्ध उत्पा. सहकारी समिति मर्या., दुआरा. | 1176/21-09-2010 | 647/05-08-2014 | श्री श्रीधर गुप्ता, सहकारी निरीक्षक |
| 37. | महिला दुग्ध उत्पा. सहकारी समिति मर्या., चदैनिया. | 1177/21-09-2010 | 648/05-08-2014 | श्री हरी राम पनिका, वरि. सहकारी निरीक्षक |
| 38. | महिला दुग्ध उत्पा. सहकारी समिति मर्या., पचोखर. | 1178/21-09-2010 | 649/05-08-2014 | श्री हरी राम पनिका, वरि. सहकारी निरीक्षक |
| 39. | महिला दुग्ध उत्पा. सहकारी समिति मर्या., कपुरी बघेलान. | 1179/21-09-2010 | 650/05-08-2014 | श्री हरी राम पनिका, वरि. सहकारी निरीक्षक |
| 40. | महिला दुग्ध उत्पा. सहकारी समिति मर्या., कुबरी. | 1180/22-09-2010 | 651/05-08-2014 | श्री श्रीधर गुप्ता, सहकारी निरीक्षक |
| 41. | दुग्ध उत्पा. सहकारी समिति मर्या., लौआ | 1181/22-09-2010 | 652/05-08-2014 | श्री बी. के. सोंधिया, वरि. सहकारी निरीक्षक |
| 42. | महिला दुग्ध उत्पा. सहकारी समिति मर्या., कोल्हूडीह. | 1182/22-09-2010 | 653/05-08-2014 | श्री मदन सिंह उइके, वरि. सहकारी निरीक्षक |
| 43. | महिला दुग्ध उत्पा. सहकारी समिति मर्या., मडवा. | 1183/22-09-2010 | 654/05-08-2014 | श्री श्रीधर गुप्ता, सहकारी निरीक्षक |
| 44. | महिला दुग्ध उत्पा. सहकारी समिति मर्या., शिवपुरवा नं. 1. | 1185/23-09-2010 | 655/05-08-2014 | श्री मदन सिंह उइके, वरि. सहकारी निरीक्षक |
| 45. | महिला दुग्ध उत्पा. सहकारी समिति मर्या., छुहिया. | 1186/23-09-2010 | 656/05-08-2014 | श्री बी. के. सोंधिया, वरि. सहकारी निरीक्षक |
| 46. | महिला दुग्ध उत्पा. सहकारी समिति मर्या., डेम्हा. | 1187/23-09-2010 | 657/05-08-2014 | श्री मदन सिंह उइके, वरि. सहकारी निरीक्षक |
| 47. | महिला दुग्ध उत्पा. सहकारी समिति मर्या., नौगवां धीरसिंह. | 1188/23-09-2010 | 658/05-08-2014 | श्री मदन सिंह उइके, वरि. सहकारी निरीक्षक |
| 48. | महिला दुग्ध उत्पा. सहकारी समिति मर्या., अमरवाह. | 1189/23-09-2010 | 659/05-08-2014 | श्री मदन सिंह उइके, वरि. सहकारी निरीक्षक |
| 49. | महिला दुग्ध उत्पा. सहकारी समिति मर्या., चौफाल कोठार. | 1190/24-09-2010 | 660/05-08-2014 | श्री मदन सिंह उइके, वरि. सहकारी निरीक्षक |
| 50. | महिला दुग्ध उत्पा. सहकारी समिति मर्या., बेन्दुआं. | 1191/24-09-2010 | 661/05-08-2014 | श्री एस. एन. सिंह, वरि. सहकारी निरीक्षक |
| 51. | महिला दुग्ध उत्पा. सहकारी समिति मर्या., कोचिटा. | 1192/24-09-2010 | 662/05-08-2014 | श्री मदन सिंह उइके, वरि. सहकारी निरीक्षक |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|--|-----------------|----------------|--|
| 52. | महिला दुग्ध उत्पा. सहकारी समिति मर्या., शुकवारी मझारी. | 1193/24-09-2010 | 663/05-08-2014 | श्री सत्य प्रकाश पाण्डेवा, वरि. सहकारी निरीक्षक |
| 53. | महिला दुग्ध उत्पा. सहकारी समिति मर्या., मधुरी पवाई. | 1194/24-09-2010 | 664/05-08-2014 | श्री सत्य प्रकाश पाण्डेवा, वरि. सहकारी निरीक्षक |
| 54. | महिला दुग्ध उत्पा. सहकारी समिति मर्या., जमुनिहा कला. | 1195/24-09-2010 | 665/05-08-2014 | श्री सत्य प्रकाश पाण्डेवा, वरि. सहकारी निरीक्षक |
| 55. | महिला दुग्ध उत्पा. सहकारी समिति मर्या., टीकट कला. | 1196/04-10-2010 | 666/05-08-2014 | श्री हरी राम पनिका, वरि. सहकारी निरीक्षक |
| 56. | महिला दुग्ध उत्पा. सहकारी समिति मर्या., चौफाल पवाई. | 1197/04-10-2010 | 667/05-08-2014 | श्री एस. एन. सिंह, वरि. सहकारी निरीक्षक |
| 57. | महिला दुग्ध उत्पा. सहकारी समिति मर्या., मोहनिया. | 1198/04-10-2010 | 668/05-08-2014 | श्री एस. एन. सिंह, वरि. सहकारी निरीक्षक |
| 58. | महिला दुग्ध उत्पा. सहकारी समिति मर्या., पड़खुरी नं. 2. | 1199/04-10-2010 | 669/05-08-2014 | श्री सत्य प्रकाश पाण्डेवा, वरि. सहकारी निरीक्षक |
| 59. | महिला दुग्ध उत्पा. सहकारी समिति मर्या., गाडा लोलर सिंह. | 1200/04-10-2010 | 670/05-08-2014 | श्री सत्य प्रकाश पाण्डेवा, वरि. सहकारी निरीक्षक. |
| 60. | महिला दुग्ध उत्पा. सहकारी समिति मर्या., खरहना. | 1201/04-10-2010 | 671/05-08-2014 | श्री के. एल. कमरानी, सहकारी निरीक्षक |
| 61. | महिला दुग्ध उत्पा. सहकारी समिति मर्या., रामगढ़. | 1202/04-10-2010 | 672/05-08-2014 | श्री श्रीधर गुप्ता, सहकारी निरीक्षक |
| 62. | महिला दुग्ध उत्पा. सहकारी समिति मर्या., गाडा बवन सिंह. | 1203/04-10-2010 | 673/05-08-2014 | श्री सत्य प्रकाश पाण्डेवा, वरि. सहकारी निरीक्षक |
| 63. | महिला दुग्ध उत्पा. सहकारी समिति मर्या., कुबरी. | 1204/04-10-2010 | 674/05-08-2014 | श्री श्रीधर गुप्ता, सहकारी निरीक्षक |
| 64. | महिला दुग्ध उत्पा. सहकारी समिति मर्या., पटेहरा कोठार. | 1205/05-10-2010 | 675/05-08-2014 | श्री श्रीधर गुप्ता, सहकारी निरीक्षक |
| 65. | महिला दुग्ध उत्पा. सहकारी समिति मर्या., सिहौलिया. | 1206/05-10-2010 | 676/05-08-2014 | श्री श्रीधर गुप्ता, सहकारी निरीक्षक |
| 66. | महिला दुग्ध उत्पा. सहकारी समिति मर्या., हड़बड़ो. | 1207/05-10-2010 | 677/05-08-2014 | श्री श्रीधर गुप्ता, सहकारी निरीक्षक |
| 67. | महिला दुग्ध उत्पा. सहकारी समिति मर्या., दादर. | 1208/05-10-2010 | 678/05-08-2014 | श्री एस. पी. मांझी, अंकेक्षण अधिकारी |
| 68. | महिला दुग्ध उत्पा. सहकारी समिति मर्या., डांगा. | 1209/05-10-2010 | 679/05-08-2014 | श्री एस. पी. मांझी, अंकेक्षण अधिकारी |
| 69. | महिला दुग्ध उत्पा. सहकारी समिति मर्या., ताला. | 1210/05-10-2010 | 680/05-08-2014 | श्री एस. पी. मांझी, अंकेक्षण अधिकारी |
| 70. | महिला दुग्ध उत्पा. सहकारी समिति मर्या., चुवाही. | 1211/05-10-2010 | 681/05-08-2014 | श्री एस. पी. मांझी, अंकेक्षण अधिकारी |
| 71. | महिला दुग्ध उत्पा. सहकारी समिति मर्या., सेमरिया. | 1212/05-10-2010 | 682/05-08-2014 | श्री श्रीधर गुप्ता, सहकारी निरीक्षक |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|--|-----------------|----------------|---|
| 72. | महिला दुग्ध उत्पा. सहकारी समिति मर्या., बढौरा. | 1213/05-10-2010 | 683/05-08-2014 | श्री श्रीधर गुप्ता, सहकारी निरीक्षक |
| 73. | महिला दुग्ध उत्पा. सहकारी समिति मर्या., मौहरिया कला. | 1214/05-10-2010 | 684/05-08-2014 | श्री सत्य प्रकाश पाण्डेवा, वरि. सहकारी निरीक्षक |
| 74. | महिला दुग्ध उत्पा. सहकारी समिति मर्या., मवई. | 1217/18-10-2010 | 685/05-08-2014 | श्री सत्य प्रकाश पाण्डेवा, वरि. सहकारी निरीक्षक |
| 75. | महिला दुग्ध उत्पा. सहकारी समिति मर्या., भितरी. | 1220/18-10-2010 | 686/05-08-2014 | श्री श्रीधर गुप्ता, सहकारी निरीक्षक |
| 76. | महिला दुग्ध उत्पा. सहकारी समिति मर्या., गुजरेड. | 1228/25-10-2010 | 687/05-08-2014 | श्री श्रीधर गुप्ता, सहकारी निरीक्षक |
| 77. | महिला दुग्ध उत्पा. सहकारी समिति मर्या., कुशमहर. | 1234/11-11-2010 | 688/05-08-2014 | श्री श्रीधर गुप्ता, सहकारी निरीक्षक |
| 78. | महिला दुग्ध उत्पा. सहकारी समिति मर्या., खैरा. | 1238/11-11-2010 | 689/05-08-2014 | श्री श्रीधर गुप्ता, सहकारी निरीक्षक |
| 79. | महिला दुग्ध उत्पा. सहकारी समिति मर्या., पैपखार. | 1249/11-11-2010 | 690/05-08-2014 | श्री श्रीधर गुप्ता, सहकारी निरीक्षक |
| 80. | महिला दुग्ध उत्पा. सहकारी समिति मर्या., धुम्मा. | 1251/11-11-2010 | 691/05-08-2014 | श्री एस. पी. मांझी, अंकेक्षण अधिकारी |
| 81. | महिला दुग्ध उत्पा. सहकारी समिति मर्या., कपुरी बढौलिहान. | 1288/04-12-2010 | 692/05-08-2014 | श्री सत्य प्रकाश पाण्डेवा, वरि. सहकारी निरीक्षक |
| 82. | महिला दुग्ध उत्पा. सहकारी समिति मर्या., किटहनी | 1309/25-02-2011 | 693/05-08-2014 | श्री एस. पी. मांझी, अंकेक्षण अधिकारी |
| 83. | महिला दुग्ध उत्पा. सहकारी समिति मर्या., पड़री. | 1310/25-02-2011 | 694/05-08-2014 | श्री एस. पी. मांझी, अंकेक्षण अधिकारी |
| 84. | महिला दुग्ध उत्पा. सहकारी समिति मर्या., भाठा. | 1311/25-02-2011 | 695/05-08-2014 | श्री एस. पी. मांझी, अंकेक्षण अधिकारी |
| 85. | महिला दुग्ध उत्पा. सहकारी समिति मर्या., बंजारी. | 1312/25-02-2011 | 696/05-08-2014 | श्री एस. पी. मांझी, अंकेक्षण अधिकारी |
| 86. | महिला दुग्ध उत्पा. सहकारी समिति मर्या., पनवार बघेलान. | 1313/25-02-2011 | 697/05-08-2014 | श्री एस. पी. मांझी, अंकेक्षण अधिकारी |
| 87. | महिला दुग्ध उत्पा. सहकारी समिति मर्या., जमोड़ी कला. | 1314/25-02-2011 | 698/05-08-2014 | श्री एस. पी. मांझी, अंकेक्षण अधिकारी |
| 88. | महिला दुग्ध उत्पा. सहकारी समिति मर्या., मुरदाडीह. | 1315/25-02-2011 | 699/05-08-2014 | श्री बी. के. सोंधिया, वरि. सहकारी निरीक्षक |
| 89. | महिला दुग्ध उत्पा. सहकारी समिति मर्या., पड़रिया. | 1316/25-02-2011 | 700/05-08-2014 | श्री श्रीधर गुप्ता, सहकारी निरीक्षक |
| 90. | महिला दुग्ध उत्पा. सहकारी समिति मर्या., बघोर. | 1317/25-02-2011 | 701/05-08-2014 | श्री बी. के. सोंधिया, वरि. सहकारी निरीक्षक |
| 91. | महिला दुग्ध उत्पा. सहकारी समिति मर्या., दुअरा. | 1318/25-02-2011 | 702/05-08-2014 | श्री श्रीधर गुप्ता, सहकारी निरीक्षक |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------|---|-----------------|----------------|---|
| 92. | महिला दुग्ध उत्पा. सहकारी समिति मर्या., भरूही. | 1319/25-02-2011 | 703/05-08-2014 | श्री श्रीधर गुप्ता, सहकारी निरीक्षक |
| 93. | महिला दुग्ध उत्पा. सहकारी समिति मर्या., देवगवां. | 1320/25-02-2011 | 704/05-08-2014 | श्री श्रीधर गुप्ता, सहकारी निरीक्षक |
| 94. | महिला दुग्ध उत्पा. सहकारी समिति मर्या., पमरिया. | 1321/25-02-2011 | 705/05-08-2014 | श्री बी. के. सोंधिया, वरि. सहकारी निरीक्षक |
| 95. | महिला दुग्ध उत्पा. सहकारी समिति मर्या., बमुरी. | 1322/25-02-2011 | 706/05-08-2014 | श्री बी. के. सोंधिया, वरि. सहकारी निरीक्षक |
| 96. | महिला दुग्ध उत्पा. सहकारी समिति मर्या., सतोहरी. | 1323/25-02-2011 | 707/05-08-2014 | श्री श्रीधर गुप्ता, सहकारी निरीक्षक |
| 97. | महिला दुग्ध उत्पा. सहकारी समिति मर्या., उमरिहा. | 1324/25-02-2011 | 708/05-08-2014 | श्री श्रीधर गुप्ता, सहकारी निरीक्षक |
| 98. | महिला दुग्ध उत्पा. सहकारी समिति मर्या., बूसी. | 1325/25-02-2011 | 709/05-08-2014 | श्री सत्य प्रकाश पाण्डेवा, वरि. सहकारी निरीक्षक |
| 99. | महिला दुग्ध उत्पा. सहकारी समिति मर्या., साडा (शिवराजपुर). | 1326/25-02-2011 | 710/05-08-2014 | श्री सत्य प्रकाश पाण्डेवा, वरि. सहकारी निरीक्षक |
| 100. | महिला दुग्ध उत्पा. सहकारी समिति मर्या., अमहिया. | 1327/25-02-2011 | 711/05-08-2014 | श्री एस. पी. मांझी, अंकेक्षण अधिकारी |
| 101. | महिला दुग्ध उत्पा. सहकारी समिति मर्या., खडौरा. | 1328/25-02-2011 | 712/05-08-2014 | श्री एस. पी. मांझी, अंकेक्षण अधिकारी |
| 102. | महिला दुग्ध उत्पा. सहकारी समिति मर्या., मझिगवां. | 1329/25-02-2011 | 713/05-08-2014 | श्री एस. पी. मांझी, अंकेक्षण अधिकारी |
| 103. | महिला दुग्ध उत्पा. सहकारी समिति मर्या., गजरी. | 1330/25-02-2011 | 714/05-08-2014 | श्री एस. पी. मांझी, अंकेक्षण अधिकारी |
| 104. | महिला दुग्ध उत्पा. सहकारी समिति मर्या., बकवा. | 1331/25-02-2011 | 715/05-08-2014 | श्री एस. पी. मांझी, अंकेक्षण अधिकारी |
| 105. | महिला दुग्ध उत्पा. सहकारी समिति मर्या., नदहा. | 1332/25-02-2011 | 716/05-08-2014 | श्री एस. पी. मांझी, अंकेक्षण अधिकारी |
| 106. | महिला दुग्ध उत्पा. सहकारी समिति मर्या., गोतरा. | 1333/25-02-2011 | 717/05-08-2014 | श्री एस. एन. सिंह, वरि. सहकारी निरीक्षक |
| 107. | महिला दुग्ध उत्पा. सहकारी समिति मर्या., हरदी. | 1334/25-02-2011 | 718/05-08-2014 | श्री एस. एन. सिंह, वरि. सहकारी निरीक्षक |
| 108. | महिला दुग्ध उत्पा. सहकारी समिति मर्या., पोड़ी (वस्तुआ). | 1335/25-02-2011 | 719/05-08-2014 | श्री एस. एन. सिंह, वरि. सहकारी निरीक्षक |
| 109. | महिला दुग्ध उत्पा. सहकारी समिति मर्या., हटवा देवार्थ. | 1336/25-02-2011 | 720/05-08-2014 | श्री बी. के. सोंधिया, वरि. सहकारी निरीक्षक |
| 110. | महिला दुग्ध उत्पा. सहकारी समिति मर्या., खोरवा टोला. | 1337/25-02-2011 | 721/05-08-2014 | श्री बी. के. सोंधिया, वरि. सहकारी निरीक्षक |
| 111. | महिला दुग्ध उत्पा. सहकारी समिति मर्या., सिहावल. | 1338/25-02-2011 | 722/05-08-2014 | श्री बी. के. सोंधिया, वरि. सहकारी निरीक्षक |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------|--|-----------------|----------------|---|
| 112. | महिला दुग्ध उत्पा. सहकारी समिति मर्या., अमिलिया. | 1339/25-02-2011 | 723/05-08-2014 | श्री बी. के. सोंधिया, वरि. सहकारी निरीक्षक |
| 113. | महिला दुग्ध उत्पा. सहकारी समिति मर्या., पड़खुरी 586. | 1341/25-04-2011 | 724/05-08-2014 | श्री के. एल. कमरानी, सहकारी निरीक्षक |
| 114. | महिला दुग्ध उत्पा. सहकारी समिति मर्या., गौरदह. | 1342/25-04-2011 | 725/05-08-2014 | श्री श्रीधर गुप्ता, सहकारी निरीक्षक |
| 115. | महिला दुग्ध उत्पा. सहकारी समिति मर्या., पैपखरा (रा. नै.). | 1343/25-04-2011 | 726/05-08-2014 | श्री के. एल. कमरानी, सहकारी निरीक्षक |
| 116. | महिला दुग्ध उत्पा. सहकारी समिति मर्या., खड्डी खुर्द. | 1345/25-04-2011 | 727/05-08-2014 | श्री श्रीधर गुप्ता, सहकारी निरीक्षक |
| 117. | महिला दुग्ध उत्पा. सहकारी समिति मर्या., अमिलिहा. | 1346/25-04-2011 | 728/05-08-2014 | श्री के. एल. कमरानी, सहकारी निरीक्षक |
| 118. | महिला दुग्ध उत्पा. सहकारी समिति मर्या., बरौ. | 1347/25-04-2011 | 729/05-08-2014 | श्री के. एल. कमरानी, सहकारी निरीक्षक |
| 119. | महिला दुग्ध उत्पा. सहकारी समिति मर्या., बजरंग गढ़. | 1348/25-04-2011 | 730/05-08-2014 | श्री के. एल. कमरानी, सहकारी निरीक्षक |
| 120. | महिला दुग्ध उत्पा. सहकारी समिति मर्या., मौहार. | 1349/25-04-2011 | 731/05-08-2014 | श्री श्रीधर गुप्ता, सहकारी निरीक्षक |
| 121. | महिला दुग्ध उत्पा. सहकारी समिति मर्या., सुपेला. | 1350/25-04-2011 | 732/05-08-2014 | श्री बी. के. सोंधिया, वरि. सहकारी निरीक्षक |
| 122. | महिला दुग्ध उत्पा. सहकारी समिति मर्या., दुआरी. | 1353/18-10-2011 | 733/05-08-2014 | श्री एस. एन. सिंह, वरि. सहकारी निरीक्षक |
| 123. | महिला दुग्ध उत्पा. सहकारी समिति मर्या., इटहा. | 1355/18-10-2011 | 734/05-08-2014 | श्री श्रीधर गुप्ता, सहकारी निरीक्षक |
| 124. | महिला दुग्ध उत्पा. सहकारी समिति मर्या., बडेसर. | 1356/18-10-2011 | 735/05-08-2014 | श्री श्रीधर गुप्ता, सहकारी निरीक्षक |
| 125. | महिला दुग्ध उत्पा. सहकारी समिति मर्या., खड्डी कला. | 1357/18-10-2011 | 736/05-08-2014 | श्री श्रीधर गुप्ता, सहकारी निरीक्षक |
| 126. | प्राथ. सह. उपभोक्ता भण्डार मर्या., कोतरकला. | 614/01-02-1991 | 737/05-08-2014 | श्री सत्य प्रकाश पाण्डेवा, वरि. सहकारी निरीक्षक |
| 127. | गणेश उनी दरी बुनकर सहकारी समिति मर्या., भितरी. | 1032/26-06-2006 | 739/05-08-2014 | श्री बी. के. सोंधिया, वरि. सहकारी निरीक्षक |
| 128. | प्राथ. कमला टाटपट्टी दरी बुन. सहकारी समिति मर्या., नौगवां धीर सिंह. | 869/30-07-2002 | 740/05-08-2014 | श्री एस. एन. सिंह, वरि. सहकारी निरीक्षक |
| 129. | कमल मसाला उद्योग सहकारी समिति मर्या., दुअरा कला. | 1037/20-11-2006 | 741/05-08-2014 | श्री एस. एन. सिंह, वरि. सहकारी निरीक्षक |
| 130. | कोसा रेशम उद्योग सहकारी समिति लोहझर. | 746/17-10-1997 | 742/05-08-2014 | श्री हरी राम पनिका, वरि. सहकारी निरीक्षक |
| 131. | लक्ष्मी लौह कास्ट कला औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या., चुरहट. | 848/01-03-2002 | 743/05-08-2014 | श्री सत्य प्रकाश पाण्डेवा, वरि. सहकारी निरीक्षक |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------|---|-----------------|----------------|---|
| 132. | अमर गौण खनिज क्रय-विक्रय सहकारी सं. मर्या., सीधी. | 830/31-07-2001 | 744/05-08-2014 | श्री सत्य प्रकाश पाण्डेवा, वरि. सहकारी निरीक्षक |
| 133. | रेशम कोसा उद्योग सहकारी संस्था मर्या., बरबंदा. | 1362/28-02-2013 | 745/05-08-2014 | श्री हरी राम पनिका, वरि. सहकारी निरीक्षक |
| 134. | अकांक्षा महिला सिलाई-कढ़ाई औद्योगिक सहकारी मर्या., गुलवासपुर. | 1072/06-12-2007 | 746/05-08-2014 | श्री एस. पी. मांझी, अंकेक्षण अधिकारी |
| 135. | महिला सिलाई-कढ़ाई उद्योग सहकारी संस्था मर्या., झाला. | 1092/27-01-2009 | 747/05-08-2014 | श्री एस. एन. सिंह, वरि. सहकारी निरीक्षक |
| 136. | आदि. मछुआ सहकारी संस्था मर्या., भुईमाड़. | 1075/08-01-2008 | 748/05-08-2014 | श्री एस. एन. सिंह, वरि. सहकारी निरीक्षक |
| 137. | दक्षिणांचल माझी मछुआ-मछली उद्योग सहकारी मर्या., ठोंगा. | 987/26-02-2005 | 749/05-08-2014 | श्री श्रीधर गुप्ता, सहकारी निरीक्षक |
| 138. | आदि. मत्स्य पालन सहकारी संस्था मर्या., बरसेनी. | 864/18-07-2002 | 750/05-08-2014 | श्री श्रीधर गुप्ता, सहकारी निरीक्षक |
| 139. | आदर्श हरिजन मछली पालन सहकारी संस्था मर्या., कुबरी. | 612/05-01-1990 | 751/05-08-2014 | श्री एस. पी. मांझी, अंकेक्षण अधिकारी |
| 140. | आदि. मत्स्य पालन सहकारी संस्था मर्या., महाराजपुर. | 767/23-02-1999 | 752/05-08-2014 | श्री एस. पी. मांझी, अंकेक्षण अधिकारी |
| 141. | मछुआ सहकारी समिति मर्या., सारोखुर्द | 888/09-01-2003 | 753/05-08-2014 | श्री हरी राम पनिका, वरि. सहकारी निरीक्षक |
| 142. | मत्स्योद्योग विकास सहकारी समिति मर्या., गोरियरा. | 610/22-05-1990 | 755/05-08-2014 | श्री मदन सिंह उइके, वरि. सहकारी निरीक्षक |
| 143. | आदर्श आदि. महिला मछली पालन सहकारी संस्था मर्या., टमसार बरचर. | 967/15-07-2004 | 756/05-08-2014 | श्री सत्य प्रकाश पाण्डेवा, वरि. सहकारी निरीक्षक |
| 144. | शिव आदि. मत्स्य सहकारी संस्था मर्या., गिजवार. | 963/16-09-2004 | 757/05-08-2014 | श्री श्रीधर गुप्ता, सहकारी निरीक्षक |
| 145. | आदि. मछुआ सहकारी संस्था मर्या., खोहा | 1021/18-10-2005 | 758/05-08-2014 | श्री सत्य प्रकाश पाण्डेवा, वरि. सहकारी निरीक्षक |
| 146. | आदि. मछुआ सहकारी संस्था मर्या., अकौना शेरगांव. | 1081/18-04-2008 | 759/05-08-2014 | श्री हरी राम पनिका, वरि. सहकारी निरीक्षक |
| 147. | आदर्श माझी मछुआ सहकारी समिति मर्या., रतवार (खड्डीखुर्द). | 1126/13-05-2010 | 760/05-08-2014 | श्री मदन सिंह उइके, वरि. सहकारी निरीक्षक |
| 148. | महिला बहु. सह. स. मर्या., कुशमहर | 806/22-01-2001 | 761/05-08-2014 | श्री के. एल. कमरानी, सहकारी निरीक्षक |
| 149. | महिला बहु. सह. स. मर्या., जमोड़ी कला | 896/24-02-2003 | 762/05-08-2014 | श्री मदन सिंह उइके, वरि. सहकारी निरीक्षक |
| 150. | आदर्श महिला बहु. सह. स. मर्या., हड्बडी | 907/04-04-2003 | 763/05-08-2014 | श्री मदन सिंह उइके, वरि. सहकारी निरीक्षक |
| 151. | महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., पड़खुरी बिसुनी टोला. | 964/17-08-2004 | 764/05-08-2014 | श्री मदन सिंह उइके, वरि. सहकारी निरीक्षक |
| 152. | महिला बहु. सह. स. मर्या., गिजवार | 1130/15-07-2010 | 765/05-08-2014 | श्री हरी राम पनिका, वरि. सहकारी निरीक्षक |
| 153. | ईंधन क्रय-विक्रय सह. स. मर्या., टीकरखुर्द | 1040/28-12-2006 | 766/05-08-2014 | श्री एस. एन. सिंह, वरि. सहकारी निरीक्षक |
| 154. | आदर्श क्रय-विक्रय सह. सं. मर्या., जोगीपुर | 1013/28-06-2005 | 767/05-08-2014 | श्री हरी राम पनिका, वरि. सहकारी निरीक्षक |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------|---|-----------------|----------------|---|
| 155. | प्राथ. तेल एवं तिलहन उत्पा. सह. सं. मर्या., सोनवर्षा. | 447/08-12-1981 | 768/05-08-2014 | श्री एस. एन. सिंह, वरि. सहकारी निरीक्षक |
| 156. | लघु वनो. आषधि एवं अन्य उत्पाद क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्या., पथरौला | 1073/06-12-2007 | 769/05-08-2014 | श्री एस. एन. सिंह, वरि. सहकारी निरीक्षक |
| 157. | आवंतिका बीजोत्पादक सह. सं. मर्या., नौगवां धीरसिंह. | 1119/06-10-2009 | 771/05-08-2014 | श्री एस. एन. सिंह, वरि. सहकारी निरीक्षक |
| 158. | महामाया प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी सह. समिति मर्या., कोटहा सीधी. | 825/16-07-2001 | 773/05-08-2014 | श्री एस. एन. सिंह, वरि. सहकारी निरीक्षक |

यह आदेश आज दिनांक 01 अप्रैल, 2015 को मेरे हस्ताक्षर कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(322)

आर. पी. पाल,
उप-रजिस्ट्रार.

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला बैतूल

बैतूल, दिनांक 31 मार्च, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अन्तर्गत]

क्र./परि.2015/446(A).—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./13/769, दिनांक 31 अगस्त, 2013 द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रतनपुर, पंजीयक क्रमांक 1567, दिनांक 10 सितम्बर, 2007 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./13/769, दिनांक 31 अगस्त, 2013 के द्वारा श्री सी. एल. डोंगरे, सहकारिता विस्तार अधिकारी, भीमपुर को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

संस्था के परिसमापक द्वारा संस्था की दिनांक 18 सितम्बर, 2014 को आम सभा ली गई. जिसमें सदस्यों द्वारा संस्था को पुनर्जिवित करने हेतु निर्णय पारित किया गया है. परिसमापक द्वारा भी संस्था को पुनर्जिवित करने की अनुशंसा की गई. तदनुसार मेरी राय में संस्था द्वारा पारित निर्णय एवं परिसमापक द्वारा की गई अनुशंसा को दृष्टीगत रखते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रतनपुर का अस्तित्व में रहना आवश्यक है.

अतः मैं, के. व्ही. सोरते, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, बैतूल मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अन्तर्गत इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./13/769, दिनांक 31 अगस्त, 2013 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ.

आगामी आदेश पर्यन्त अथवा संस्था का निर्वाचन जो भी पहले हो संस्था का कामकाज चलाने हेतु 6 माह के लिये संस्था दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रतनपुर का निम्नानुसार प्रबंधकारिणी का गठन करता :-

- | | | |
|----|--------------------------|-----------|
| 1. | श्री रमेश/जगनू | अध्यक्ष |
| 2. | श्री लिप्पा/ओझा | उपाध्यक्ष |
| 3. | श्री विजय/हनुमानप्रसाद | संचालक |
| 4. | श्री अभिषेक/श्रीकांत | संचालक |
| 5. | श्री सद्दू/हीरालाल | संचालक |
| 6. | श्री अंकित/कृष्णराव | संचालक |
| 7. | श्री पांडू/चिक्का | संचालक |
| 8. | श्रीमती शीला/अनिल | संचालक |
| 9. | श्रीमती कम्मोबाई/मानसिंग | संचालक |

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(323)

बैतूल, दिनांक 31 मार्च, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि.2015/447.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./2003/513, दिनांक 25 अप्रैल, 2003 के द्वारा ग्रामीण विद्युत सहकारी संस्था मर्या., मुलताई को जिसका पंजीयन क्रमांक 984, दिनांक 12 फरवरी, 1981 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के परिसमापक श्री एस. के. उईके, अंकेक्षण अधिकारी द्वारा संस्था की परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण कराये जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतएव मैं, के. व्ही. सोरते, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थायें, बैतूल मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें, अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत संस्था ग्रामीण विद्युत सहकारी संस्था मर्या., मुलताई को जिसका पंजीयन 984, दिनांक 12 फरवरी, 1981 का पंजीयन निरस्त करता हूँ संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(323-A)

बैतूल, दिनांक 31 मार्च, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि.2015/448.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./11/1161, दिनांक 28 नवम्बर, 2011 के द्वारा शासकीय उ. मा. विद्यालय सहकारी भण्डार मर्या., बैतूल को जिसका पंजीयन क्रमांक 726, दिनांक 07 अगस्त, 1962 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के परिसमापक श्री सी. एल. डोंगरे, सहकारिता विस्तार अधिकारी द्वारा संस्था की परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण कराये जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतएव मैं, के. व्ही. सोरते, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थायें, बैतूल मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें, अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत संस्था शासकीय उ. मा. विद्यालय सहकारी भण्डार मर्या., बैतूल को जिसका पंजीयन क्रमांक 726, दिनांक 07 अगस्त, 1962 का पंजीयन निरस्त करता हूँ संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(323-B)

के. व्ही. सोरते,
उप-पंजीयक.

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद

होशंगाबाद, दिनांक 31 मार्च, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2015/440.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/741, होशंगाबाद, दिनांक 29 मार्च, 2014 के द्वारा नर्मदा महिला औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या., जिला होशंगाबाद, पंजीयन क्रमांक 2991, दिनांक 05 अगस्त, 2008 है को, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां, अधिनियम 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री एम. के. महतो, उप-अंकेक्षक, कार्यालय सहायक आयुक्त अंके., होशंगाबाद को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि परिसमापन संस्था के लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है तथा संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, के. पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) की रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये नर्मदा महिला औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या., जिला होशंगाबाद, पंजीयन क्रमांक 2991, दिनांक 05 अगस्त, 2008 के निगमित निकाय (कार्पोरेट बॉडी)को विघटित कर संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(324)

के. पाटनकर,
उप-पंजीयक.

कार्यालय उपायुक्त, सहकारिता, जिला रतलाम

रतलाम, दिनांक 19 मई, 2015

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

दी रतलाम शीतगृह सहकारी सोसायटी मर्या.,

रतलाम, जिला रतलाम (मध्यप्रदेश).

दी रतलाम शीतगृह सहकारी सोसायटी मर्या., रतलाम के वर्ष 2010-11, 2011-12 एवं 2012-13 के अंकेक्षण प्रतिवेदनों का अवलोकन करने पर यह पाया गया है कि सोसायटी द्वारा रजिस्ट्रीकरण के युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया गया है एवं सोसायटी के ऑडिटर्स द्वारा ली गई अंकेक्षण आपत्तियों से यह प्रतीत होता है, कि सोसायटी द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही नहीं की गई है. इससे स्पष्ट है, कि सोसायटी द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69 की उपधारा-2 (ए) एवं 2 (सी) के अनुसार कार्य नहीं किया गया है. अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-2 के अंतर्गत सोसायटी को परिसमापित किये जाने का आदेश दिया जाना आवश्यक प्रतीत होता है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी, मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए दी रतलाम शीतगृह सहकारी सोसायटी मर्या., रतलाम (मध्यप्रदेश) को धारा-69 की उपधारा (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर सोसायटी को युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर प्रदान करता हूँ कि सोसायटी द्वारा धारा-69 की उपधारा-2 (ए) एवं 2 (सी) अनुसार कार्य नहीं किया गया है. अतः क्यों न सोसायटी का परिसमापन कर दिया जावे.

यदि सोसायटी इस कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना कोई अभ्यावेदन/प्रतिवेदन प्रस्तुत करना चाहे तो वे इस सूचना-पत्र के जारी होने के 30 दिवस के भीतर मुझे समक्ष में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

सूचना-पत्र में उल्लेखित कारण बताने के लिए युक्तियुक्त अवधि तक सोसायटी की ओर से कोई अभ्यावेदन या सुनवाई के लिए उपस्थित न होने की स्थिति में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर सोसायटी के परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 19 मई, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(325)

रतलाम, दिनांक 19 मई, 2015

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

गन्ना उत्पादक क्रय-विक्रय सहकारी सोसायटी मर्या.,

जावरा, जिला रतलाम (मध्यप्रदेश).

गन्ना उत्पादक क्रय-विक्रय सहकारी सोसायटी मर्या., जावरा, जिला रतलाम द्वारा अपने आवेदन क्रमांक/निर्वाचन/2015/7,

दिनांक 23 जनवरी, 2015 द्वारा संस्था के संचालक मण्डल/अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/प्रतिनिधियों के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था. आवेदन-पत्र का परीक्षण करने पर सोसायटी के आवेदन में कतिपय त्रुटियां पाई गई थी, जो सोसायटी को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/निर्वाचन/उत्पादक/2015/64, रतलाम, दिनांक 30 जनवरी, 2015 के द्वारा सूचित कर दी गई थी. निर्वाचन हेतु किये गये आवेदन में त्रुटियां सोसायटी को सूचित करने के उपरांत भी सोसायटी द्वारा त्रुटियों का निराकरण कर संशोधित आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. इससे स्पष्ट है कि सोसायटी द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69 की उपधारा-2 (सी) के अनुसार अधिनियम, नियमों तथा उपविधि के अधीन शर्तों का पालन करना बंद कर दिया है. अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-2 के अंतर्गत सोसायटी को परिसमापित किये जाने का आदेश दिया जाना आवश्यक प्रतीत होता है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए गन्ना उत्पादक क्रय-विक्रय सहकारी सोसायटी मर्या., जावरा, जिला रतलाम (मध्यप्रदेश) को धारा-69 की उपधारा (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर सोसायटी को युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर प्रदान करता हूँ कि सोसायटी द्वारा धारा-69 की उपधारा-2 (सी) अनुसार कार्य नहीं किया गया है. अतः क्यों न सोसायटी का परिसमापन कर दिया जावे.

यदि सोसायटी इस कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना कोई अभ्यावेदन/प्रतिवेदन प्रस्तुत करना चाहे तो वे इस सूचना-पत्र के जारी होने के 30 दिवस के भीतर मुझे समक्ष में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

सूचना-पत्र में उल्लेखित कारण बताने के लिए युक्तियुक्त अवधि तक सोसायटी की ओर से कोई अभ्यावेदन या सुनवाई के लिए उपस्थित न होने की स्थिति में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर सोसायटी के परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 19 मई, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(325-A)

रतलाम, दिनांक 19 मई, 2015

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

मानसरोवर गृह निर्माण सहकारी सोसायटी मर्या.,

रतलाम, जिला रतलाम (मध्यप्रदेश).

मानसरोवर गृह निर्माण सहकारी सोसायटी मर्या., रतलाम के संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी, भोपाल के आदेश क्रमांक/सह. नि. प्रा./2014/5641, भोपाल, दिनांक 16 सितम्बर, 2014 के द्वारा श्री व्ही. के. वर्मा, व. स. नि. के सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त किया गया था. सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा अपने पत्र दिनांक 22 सितम्बर, 2014 के द्वारा अवगत कराया गया है, कि मानसरोवर गृह निर्माण सहकारी सोसायटी मर्या., रतलाम के अध्यक्ष के द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार सूची प्रकाशन की कार्यवाही विधि/नियम अनुसार सम्पन्न नहीं की गई. इससे स्पष्ट है, कि सोसायटी द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-2 (सी) के अनुसार अधिनियम, नियमों तथा उपविधि के अधीन शर्तों का पालन बंद कर दिया है. अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-2 के अंतर्गत सोसायटी को परिसमापित किये जाने का आदेश दिया जाना आवश्यक प्रतीत होता है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल, की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मानसरोवर गृह निर्माण सहकारी सोसायटी मर्या., रतलाम (मध्यप्रदेश) को धारा-69 की उपधारा (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर सोसायटी को युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर प्रदान करता हूँ कि सोसायटी द्वारा धारा-69 की उपधारा-2 (सी) अनुसार कार्य नहीं किया गया है. अतः क्यों न सोसायटी का परिसमापन कर दिया जावे.

यदि सोसायटी इस कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना कोई अभ्यावेदन/प्रतिवेदन प्रस्तुत करना चाहे तो वे इस सूचना-पत्र के जारी होने के 30 दिवस के भीतर मुझे समक्ष में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

सूचना-पत्र में उल्लेखित कारण बताने के लिए युक्तियुक्त अवधि तक सोसायटी की ओर से कोई अभ्यावेदन या सुनवाई के लिए उपस्थित न होने की स्थिति में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर सोसायटी के परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 19 मई, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(325-B)

पी. आर. कावड़कर,
उप-रजिस्ट्रार.

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन, जिला उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 25 मई, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2015/1143.— इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (बी/ख) (सी/ग) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर निम्नलिखित संस्था को सूचित किया गया था कि क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये:-

| क्रमांक | संस्था का नाम | पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक |
|---------|--|---------------------------|
| 1. | विश्वास महिला प्रिंटिंग सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन | 1623/22-01-2004 |

कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों का जवाब व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि पर संस्था की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ तथा प्रेषित जवाब समाधान कारक नहीं पाया गया। संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन नहीं करवाना उद्देश्यानुसार कार्य नहीं करना, स्पष्ट करता है कि संस्था के पदाधिकारीगण संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं।

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत संस्था के नाम के सम्मुख में उल्लेखित अधिकारी को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ, परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 3 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें:-

| क्रमांक | संस्था का नाम | पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक | परिसमापक का नाम व पद |
|---------|--|---------------------------|------------------------------|
| 1. | विश्वास महिला प्रिंटिंग सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन | 1623/22-01-2004 | श्री आर. एल. नागर, सह. निरी. |

यह आदेश आज दिनांक 25 मई, 2015 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(340)

मनोज जायसवाल,
उप-पंजीयक.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 26]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 26 जून 2015-आषाढ़ 5, शके 1937

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 25 फरवरी, 2015

1. मौसम एवं वर्षा.—राज्य में इस सप्ताह मौसम शुष्क रहा है तथा ग्वालियर व रीवा जिले को छोड़कर किसी भी जिले में वर्षा का होना नहीं पाया गया है.

(अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक.—तहसील ग्वालियर (ग्वालियर), सिरमोर (रीवा) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक.—तहसील मऊगंज, हनुमना, हजूर, रायपुरकचुलियान (रीवा) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक.—तहसील त्योंथर, गुढ़ (रीवा) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

2. जुताई.—जिला उमरिया में रबी फसलों की जुताई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

3. बोनी.—जिला उमरिया व नरसिंहपुर में रबी फसलों की बोनी का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

4. फसल स्थिति.—

5. कटाई.—जिला कटनी में फसल तुअर व खरगौन में रबी फसलों की कटाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

6. सिंचाई.—जिला ग्वालियर, दतिया, टीकमगढ़, सागर, उमरिया, उज्जैन, शाजापुर, विदिशा, नरसिंहपुर व सिवनी में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

7. पशुओं की स्थिति.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है.

8. चारा.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

9. बीज.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

10. खेतिहर श्रमिक.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, समाहान्त बुधवार, दिनांक 25 फरवरी, 2015

| जिला/तहसीलें | 1. सप्ताह में हुई वर्षा:- (अ) वर्षा का माप (मि.मी.) में (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक. | 2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव:- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर, रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर. | 3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल - (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत. | 5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक). 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति. | 7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति. |
|------------------------|---|--|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| *जिला मुरैना : | मिलीमीटर | 2. .. | 3. .. 4. (1) .. (2) .. | 5. .. 6. .. | 7. .. 8. .. |
| 1. अम्बाह | .. | | | | |
| 2. पोरसा | .. | | | | |
| 3. मुरैना | .. | | | | |
| 4. जौरा | .. | | | | |
| 5. सबलगढ़ | .. | | | | |
| 6. कैलारस | .. | | | | |
| जिला श्योपुर : | मिलीमीटर | 2. .. | 3. .. 4. (1) तुअर, गन्ना, गेहूँ, जौ, चना, राई-सरसों, अलसी सुधरी हुई. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई. | 5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त. |
| 1. श्योपुर | .. | | | | |
| 2. कराहल | .. | | | | |
| 3. विजयपुर | .. | | | | |
| *जिला भिण्ड : | मिलीमीटर | 2. .. | 3. .. 4. (1) .. (2) .. | 5. .. 6. .. | 7. .. 8. .. |
| 1. अटेर | .. | | | | |
| 2. भिण्ड | .. | | | | |
| 3. गोहद | .. | | | | |
| 4. मेहगांव | .. | | | | |
| 5. लहार | .. | | | | |
| 6. मिहोना | .. | | | | |
| 7. रौन | .. | | | | |
| जिला ग्वालियर : | मिलीमीटर | 2. .. | 3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गन्ना, मूंगमोठ, तुअर, मूंगफली अधिक. (2) उपरोक्त फसलें समान. | 5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त. |
| 1. ग्वालियर | 0.2 | | | | |
| 2. डबरा | .. | | | | |
| 3. भितरवार | .. | | | | |
| 4. घाटीगांव | .. | | | | |
| जिला दतिया : | मिलीमीटर | 2. .. | 3. .. 4. (1) गेहूँ, जौ, चना, राई-सरसों, मटर समान. (2) उपरोक्त फसलें समान. | 5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त. |
| 1. सेवड़ा | .. | | | | |
| 2. दतिया | .. | | | | |
| 3. भाण्डेर | .. | | | | |
| जिला शिवपुरी : | मिलीमीटर | 2. .. | 3. .. 4. (1) गन्ना अधिक. (2) उपरोक्त फसल सुधरी हुई. | 5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त. |
| 1. शिवपुरी | .. | | | | |
| 2. पिछोर | .. | | | | |
| 3. खनियाधाना | .. | | | | |
| 4. नरवर | .. | | | | |
| 5. करैरा | .. | | | | |
| 6. कोलारस | .. | | | | |
| 7. पोहरी | .. | | | | |
| 8. बदरवास | .. | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----------------------|----------|-------|---|------------------------------|--------------|
| जिला अशोकनगर : | मिलीमीटर | 2. .. | 3. .. | 5. पर्याप्त. | 7. .. |
| 1. मुँगावली | .. | | 4. (1) उड़द, चना अधिक. सोयाबीन, गन्ना, गेहूँ कम. मक्का समान. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. ईसागढ़ | .. | | (2) .. | | |
| 3. अशोकनगर | .. | | | | |
| 4. चन्देरी | .. | | | | |
| 5. शाढौरा | .. | | | | |
| *जिला गुना : | मिलीमीटर | 2. .. | 3. .. | 5. .. | 7. .. |
| 1. गुना | .. | | 4. (1) .. | 6. .. | 8. .. |
| 2. राघोगढ़ | .. | | (2) .. | | |
| 3. बमोरी | .. | | | | |
| 4. आरोन | .. | | | | |
| 5. चाचौड़ा | .. | | | | |
| 6. कुम्भराज | .. | | | | |
| जिला टीकमगढ़ : | मिलीमीटर | 2. .. | 3. कोई घटना नहीं. | 5. अपर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. निवाड़ी | .. | | 4. (1) गेहूँ, जौ, चना, राई-सरसों, मटर, मसूर समान. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. पृथ्वीपुर | .. | | (2) उपरोक्त फसलें समान. | | |
| 3. जतारा | .. | | | | |
| 4. टीकमगढ़ | .. | | | | |
| 5. बल्देवगढ़ | .. | | | | |
| 6. पलेरा | .. | | | | |
| 7. ओरछा | .. | | | | |
| जिला छतरपुर : | मिलीमीटर | 2. .. | 3. कोई घटना नहीं. | 5. .. | 7. पर्याप्त. |
| 1. लवकुश नगर | .. | | 4. (1) तुअर, जौ अधिक. गेहूँ, चना कम. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. गौरीहार | .. | | (2) .. | | |
| 3. नौगांव | .. | | | | |
| 4. छतरपुर | .. | | | | |
| 5. राजनगर | .. | | | | |
| 6. बिजावर | .. | | | | |
| 7. बड़ामलहरा | .. | | | | |
| 8. बकस्वाहा | .. | | | | |
| जिला पन्ना : | मिलीमीटर | 2. .. | 3. कोई घटना नहीं. | 5. पर्याप्त. | 7. .. |
| 1. अजयगढ़ | .. | | 4. (1) मूंग, जौ, राई-सरसों, अलसी, प्याज अधिक. धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, तुअर, उड़द, सोयाबीन, तिल, गेहूँ, चना, मसूर, आलू कम. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. पन्ना | .. | | (2) .. | | |
| 3. गुन्नौर | .. | | | | |
| 4. पवई | .. | | | | |
| 5. शाहनगर | .. | | | | |
| जिला सागर : | मिलीमीटर | 2. .. | 3. .. | 5. अपर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. बीना | .. | | 4. (1) गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, तिवड़ा, राई-सरसों, अलसी, आलू, प्याज कम. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. खुरई | .. | | (2) .. | | |
| 3. बण्डा | .. | | | | |
| 4. सागर | .. | | | | |
| 5. रेहली | .. | | | | |
| 6. देवरी | .. | | | | |
| 7. गढ़ाकोटा | .. | | | | |
| 8. राहतगढ़ | .. | | | | |
| 9. केसली | .. | | | | |
| 10. मालथोन | .. | | | | |
| 11. शाहगढ़ | .. | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----------------------|----------|-------------------------------------|---|------------------------------|--------------|
| जिला दमोह : | मिलीमीटर | 2. .. | 3. कोई घटना नहीं. | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. हटा | .. | | 4. (1) तुअर, गेहूँ, चना, मटर, मसूर, राई-सरसों, अलसी समान. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. बटियागढ़ | .. | | (2) उपरोक्त फसलें समान. | | |
| 3. दमोह | .. | | | | |
| 4. पथरिया | .. | | | | |
| 5. जवेरा | .. | | | | |
| 6. तेन्दूखेड़ा | .. | | | | |
| 7. पटेरा | .. | | | | |
| जिला सतना : | मिलीमीटर | 2. .. | 3. कोई घटना नहीं. | 5. पर्याप्त. | 7. .. |
| 1. रघुराजनगर | .. | | 4. (1) तुअर, गेहूँ, चना, मसूर, अलसी, सरसों समान. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. मझगावां | .. | | (2) उपरोक्त फसलें समान. | | |
| 3. रामपुर-बधेलान | .. | | | | |
| 4. नागौद | .. | | | | |
| 5. उचेहरा | .. | | | | |
| 6. अमरपाटन | .. | | | | |
| 7. रामनगर | .. | | | | |
| 8. मैहर | .. | | | | |
| 9. बिरसिंहपुर | .. | | | | |
| जिला रीवा : | मिलीमीटर | 2. .. | 3. .. | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. त्योंथर | 40.0 | | 4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों, अरहर अधिक. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. सिरमौर | 15.0 | | मसूर, अलसी, जौ समान. | | |
| 3. मऊगंज | 22.0 | | (2) .. | | |
| 4. हनुमना | 27.4 | | | | |
| 5. हजूर | 25.2 | | | | |
| 6. गुढ़ | 39.0 | | | | |
| 7. रायपुरकुर्चुलियान | 23.0 | | | | |
| *जिला शहडोल : | मिलीमीटर | 2. .. | 3. .. | 5. .. | 7. .. |
| 1. सोहागपुर | .. | | 4. (1) .. | 6. .. | 8. .. |
| 2. ब्यौहारी | .. | | (2) .. | | |
| 3. जैसिंहनगर | .. | | | | |
| 4. जैतपुर | .. | | | | |
| जिला अनूपपुर : | मिलीमीटर | 2. .. | 3. कोई घटना नहीं. | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. जैतहरी | .. | | 4. (1) चना अधिक. राहर, गेहूँ कम. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. अनूपपुर | .. | | अलसी, राई-सरसों, मसूर समान. | | |
| 3. कोतमा | .. | | (2) .. | | |
| 4. पुष्पराजगढ़ | .. | | | | |
| जिला उमरिया : | मिलीमीटर | 2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है. | 3. कोई घटना नहीं. | 5. अपर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. बांधवगढ़ | .. | | 4. (1) धान, मक्का, कोदों-कुटकी, उड़द, अरहर, गेहूँ, चना, राई-सरसों, अलसी अधिक. सोयाबीन कम. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. पाली | .. | | तिल समान. | | |
| 3. मानपुर | .. | | (2) .. | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------------------------|----------|-------|---|---------------------------------|--------------|
| जिला सीधी : | मिलीमीटर | 2. .. | 3. .. | 5. .. | 7. .. |
| 1. गोपदवनास | .. | | 4. (1) राई-सरसों, अलसी, चना, मटर, मसूर, जौ, गेहूँ समान. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. सिहावल | .. | | (2) उपरोक्त फसलें समान. | | |
| 3. मझौली | .. | | | | |
| 4. कुसमी | .. | | | | |
| 5. चुरहट | .. | | | | |
| 6. रामपुरनैकिन | .. | | | | |
| जिला सिंगरौली : | मिलीमीटर | 2. .. | 3. कोई घटना नहीं. | 5. पर्याप्त. | 7. .. |
| 1. चितरंगी | .. | | 4. (1) राई-सरसों, चना, गेहूँ अधिक. तुअर, अलसी, मसूर, जौ, आलू समान. | 6. संतोषप्रद. चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. देवसर | .. | | (2) .. | | |
| 3. सिंगरौली | .. | | | | |
| जिला मन्दासौर : | मिलीमीटर | 2. .. | 3. .. | 5. .. | 7. .. |
| 1. सुवासरा-टप्पा | .. | | 4. (1) गेहूँ, चना कम. | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. भानपुरा | .. | | (2) उपरोक्त फसलें समान. | | |
| 3. मल्हारगढ़ | .. | | | | |
| 4. गरोठ | .. | | | | |
| 5. मन्दासौर | .. | | | | |
| 6. श्यामगढ़ | .. | | | | |
| 7. सीतामऊ | .. | | | | |
| 8. धुन्धड़का | .. | | | | |
| 9. संजीत | .. | | | | |
| 10. कयामपुर | .. | | | | |
| जिला नीमच : | मिलीमीटर | 2. .. | 3. .. | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. जावद | .. | | 4. (1) गेहूँ, राई-सरसों अधिक. चना, मसूर, मटर कम. | 6. संतोषप्रद. चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. नीमच | .. | | (2) उपरोक्त फसलें समान. | | |
| 3. मनासा | .. | | | | |
| *जिला रतलाम : | मिलीमीटर | 2. .. | 3. .. | 5. .. | 7. .. |
| 1. जावरा | .. | | 4. (1) .. | 6. .. | 8. .. |
| 2. आलोट | .. | | (2) .. | | |
| 3. सैलाना | .. | | | | |
| 4. बाजना | .. | | | | |
| 5. पिपलौदा | .. | | | | |
| 6. रतलाम | .. | | | | |
| जिला उज्जैन : | मिलीमीटर | 2. .. | 3. कोई घटना नहीं. | 5. अपर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. खाचरौद | .. | | 4. (1) गेहूँ, चना कम. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. महिदपुर | .. | | (2) .. | | |
| 3. तराना | .. | | | | |
| 4. घटिया | .. | | | | |
| 5. उज्जैन | .. | | | | |
| 6. बड़नगर | .. | | | | |
| 7. नागदा | .. | | | | |
| जिला आगर : | मिलीमीटर | 2. .. | 3. .. | 5. .. | 7. .. |
| 1. बड़ौद | .. | | 4. (1) गेहूँ, चना. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. सुसनेर | .. | | (2) .. | | |
| 3. नलखेड़ा | .. | | | | |
| 4. आगर | .. | | | | |
| जिला शाजापुर : | मिलीमीटर | 2. .. | 3. .. | 5. अपर्याप्त. | 7. .. |
| 1. मो. बड़ोदिया | .. | | 4. (1) .. | 6. संतोषप्रद. | 8. पर्याप्त. |
| 2. शाजापुर | .. | | (2) .. | चारा पर्याप्त. | |
| 3. शुजालपुर | .. | | | | |
| 4. कालापीपल | .. | | | | |
| 5. गुलाना | .. | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-------------------------|----------|--|--|----------------|--------------|
| जिला देवास : | मिलीमीटर | 2. .. | 3. .. | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. सोनकच्छ | .. | | 4. (1) .. | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. टोंकखुर्द | .. | | (2) .. | चारा पर्याप्त. | |
| 3. देवास | .. | | | | |
| 4. बागली | .. | | | | |
| 5. कन्नौद | .. | | | | |
| 6. खातेगांव | .. | | | | |
| जिला झाबुआ : | मिलीमीटर | 2. .. | 3. कोई घटना नहीं. | 5. पर्याप्त. | 7. .. |
| 1. थांदला | .. | | 4. (1) चना, कपास कम. गेहूं, मक्का समान. | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. मेघनगर | .. | | (2) .. | चारा पर्याप्त. | |
| 3. पेटलावद | .. | | | | |
| 4. झाबुआ | .. | | | | |
| 5. राणापुर | .. | | | | |
| जिला अलीराजपुर : | मिलीमीटर | 2. .. | 3. कोई घटना नहीं. | 5. पर्याप्त. | 7. .. |
| 1. जोवट | .. | | 4. (1) .. | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. अलीराजपुर | .. | | (2) .. | चारा पर्याप्त. | |
| 3. कट्टीवाड़ा | .. | | | | |
| 4. सोण्डवा | .. | | | | |
| 5. भामरा | .. | | | | |
| जिला धार : | मिलीमीटर | 2. .. | 3. कोई घटना नहीं. | 5. पर्याप्त. | 7. .. |
| 1. बदनावर | .. | | 4. (1) गेहूं, चना, गन्ना कम. | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. सरदारपुर | .. | | (2) उपरोक्त फसलें समान. | चारा पर्याप्त. | |
| 3. धार | .. | | | | |
| 4. कुक्षी | .. | | | | |
| 5. मनावर | .. | | | | |
| 6. धरमपुरी | .. | | | | |
| 7. गंधवानी | .. | | | | |
| 8. डही | .. | | | | |
| जिला इन्दौर : | मिलीमीटर | 2. .. | 3. कोई घटना नहीं. | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. देपालपुर | .. | | 4. (1) .. | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. सांवेर | .. | | (2) .. | चारा पर्याप्त. | |
| 3. इन्दौर | .. | | | | |
| 4. महू | .. | | | | |
| (डॉ. अम्बेडकरनगर) | | | | | |
| जिला खरगौन : | मिलीमीटर | 2. रबी फसलों की कटाई का कार्य चालू है. | 3. .. | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. बड़वाह | .. | | 4. (1) मक्का, बाजरा, कपास, मूँगफली, अलसी, राई-सरसों अधिक. ज्वार, धान, तुअर, गेहूं, चना कम. | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. महेश्वर | .. | | (2) .. | चारा पर्याप्त. | |
| 3. सेगांव | .. | | | | |
| 4. खरगौन | .. | | | | |
| 5. गोगावां | .. | | | | |
| 6. कसरावद | .. | | | | |
| 7. भगवानपुरा | .. | | | | |
| 8. भीकनगांव | .. | | | | |
| 9. झिरन्या | .. | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-------------------------|----------|-------|--------------------------------------|----------------|--------------|
| *जिला बड़वानी : | मिलीमीटर | 2. .. | 3. .. | 5. .. | 7. .. |
| 1. बड़वानी | .. | | 4. (1) .. | 6. .. | 8. .. |
| 2. ठीकरी | .. | | (2) .. | | |
| 3. राजपुर | .. | | | | |
| 4. सेंधवा | .. | | | | |
| 5. पानसेमल | .. | | | | |
| 6. पाटी | .. | | | | |
| 7. निवाली | .. | | | | |
| जिला खण्डवा : | मिलीमीटर | 2. .. | 3. .. | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. खण्डवा | .. | | 4. (1) गेहूँ, चना समान. | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. पंधाना | .. | | (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई. | चारा पर्याप्त. | |
| 3. हरसूद | .. | | | | |
| जिला बुरहानपुर : | मिलीमीटर | 2. .. | 3. .. | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. बुरहानपुर | .. | | 4. (1) कपास. | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. खकनार | .. | | (2) .. | चारा पर्याप्त. | |
| 3. नेपानगर | .. | | | | |
| जिला राजगढ़ : | मिलीमीटर | 2. .. | 3. .. | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. जीरापुर | .. | | 4. (1) गेहूँ, चना, जौ, सरसों, मसूर | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. खिलचीपुर | .. | | अधिक. गन्ना समान. | चारा पर्याप्त. | |
| 3. राजगढ़ | .. | | (2) .. | | |
| 4. ब्यावरा | .. | | | | |
| 5. सारंगपुर | .. | | | | |
| 6. पचोर | .. | | | | |
| 7. नरसिंहगढ़ | .. | | | | |
| जिला विदिशा : | मिलीमीटर | 2. .. | 3. .. | 5. अपर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. लटेरी | .. | | 4. (1) धान अधिक. सोयाबीन कम. | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. सिरोंज | .. | | (2) .. | चारा पर्याप्त. | |
| 3. कुरवाई | .. | | | | |
| 4. बासौदा | .. | | | | |
| 5. नटेरन | .. | | | | |
| 6. विदिशा | .. | | | | |
| 7. गुलाबगंज | .. | | | | |
| 8. ग्यारसपुर | .. | | | | |
| जिला भोपाल : | मिलीमीटर | 2. .. | 3. .. | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. बैरसिया | .. | | 4. (1) गेहूँ, चना, मसूर, तुअर, गन्ना | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. हुजूर | .. | | समान. | चारा पर्याप्त. | |
| | | | (2) उपरोक्त फसलें समान. | | |
| जिला सीहोर : | मिलीमीटर | 2. .. | 3. .. | 5. .. | 7. .. |
| 1. सीहोर | .. | | 4. (1) .. | 6. संतोषप्रद. | 8. पर्याप्त. |
| 2. आष्टा | .. | | (2) .. | | |
| 3. इछावर | .. | | | | |
| 4. नसरुल्लागंज | .. | | | | |
| 5. बुधनी | .. | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-------------------------|----------|--|---|---------------------------------|--------------|
| जिला रायसेन : | मिलीमीटर | 2. .. | 3. .. | 5. पर्याप्त. | 7. .. |
| 1. रायसेन | .. | | 4. (1) गेहूँ, जौ, राई-सरसों, अलसी, मटर अधिक. चना, मसूर, लाख, तिवड़ा कम. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. गैरतगंज | .. | | | | |
| 3. बेगमगंज | .. | | | | |
| 4. गौहरगंज | .. | | (2) .. | | |
| 5. बरेली | .. | | | | |
| 6. सिलवानी | .. | | | | |
| 7. बाड़ी | .. | | | | |
| 8. उदयपुरा | .. | | | | |
| जिला बैतूल : | मिलीमीटर | 2. .. | 3. कोई घटना नहीं. | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. भैंसदेही | .. | | 4. (1) गेहूँ, मसूर, चना अधिक. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. घोड़ाडोंगरी | .. | | (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई. | | |
| 3. शाहपुर | .. | | | | |
| 4. चिचोली | .. | | | | |
| 5. बैतूल | .. | | | | |
| 6. मुलताई | .. | | | | |
| 7. आठनेर | .. | | | | |
| 8. आमला | .. | | | | |
| जिला होशंगाबाद : | मिलीमीटर | 2. .. | 3. कोई घटना नहीं. | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. सिवनी-मालवा | .. | | 4. (1) चना, मटर, तुअर अधिक. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. होशंगाबाद | .. | | मसूर कम. गेहूँ समान. | | |
| 3. बावई | .. | | (2) .. | | |
| 4. इटारसी | .. | | | | |
| 5. सोहागपुर | .. | | | | |
| 6. पिपरिया | .. | | | | |
| 7. वनखेड़ी | .. | | | | |
| 8. पचमढ़ी | .. | | | | |
| जिला हरदा : | मिलीमीटर | 2. .. | 3. कोई घटना नहीं. | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. हरदा | .. | | 4. (1) गेहूँ | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. खिड़किया | .. | | (2) .. | | |
| 3. टिमरनी | .. | | | | |
| जिला जबलपुर : | मिलीमीटर | 2. .. | 3. .. | 5. .. | 7. पर्याप्त. |
| 1. सीहोरा | .. | | 4. (1) गेहूँ, चना, अलसी, राई-सरसों कम. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. .. |
| 2. पाटन | .. | | (2) उपरोक्त फसलें समान. | | |
| 3. जबलपुर | .. | | | | |
| 4. मझौली | .. | | | | |
| 5. कुण्डम | .. | | | | |
| जिला कटनी : | मिलीमीटर | 2. तुअर फसल की कटाई का कार्य चालू है. | 3. कोई घटना नहीं. | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. कटनी | .. | | 4. (1) चना, मसूर, अलसी, राई-सरसों गेहूँ, जौ, मटर समान. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. रीठी | .. | | (2) उपरोक्त फसलें समान. | | |
| 3. विजयराघवगढ़ | .. | | | | |
| 4. बहोरीबंद | .. | | | | |
| 5. ढीमरखेड़ा | .. | | | | |
| 6. बरही | .. | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------------------|----------|---------------------------|---|------------------------------|--------------|
| जिला नरसिंहपुर : | मिलीमीटर | 2. बोनी का कार्य चालू है. | 3. कोई घटना नहीं. | 5. अपर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. गाडरवारा | .. | | 4. (1) तुअर, धान, मक्का, उड़द, गन्ना, गेहूँ, मसूर, मटर अधिक. सोयाबीन, चना कम. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. करेली | .. | | (2) उपरोक्त फसलें समान. | | |
| 3. नरसिंहपुर | .. | | | | |
| 4. गोटेगांव | .. | | | | |
| 5. तेन्दूखेड़ा | .. | | | | |
| जिला मण्डला : | मिलीमीटर | 2. .. | 3. .. | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. निवास | .. | | 4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों, मसूर, मटर, लाख, अलसी सुधरी हुई. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. बिछिया | .. | | (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई. | | |
| 3. नैनपुर | .. | | | | |
| 4. मण्डला | .. | | | | |
| 5. घुघरी | .. | | | | |
| 6. नारायणगंज | .. | | | | |
| जिला डिण्डोरी : | मिलीमीटर | 2. .. | 3. .. | 5. .. | 7. पर्याप्त. |
| 1. डिण्डोरी | .. | | 4. (1) मक्का, धान, सोयाबीन, तुअर कोदों-कुटकी समान. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. बजाग | .. | | (2) उपरोक्त फसलें समान. | | |
| 3. शाहपुरा | .. | | | | |
| जिला छिन्दवाड़ा : | मिलीमीटर | 2. .. | 3. कोई घटना नहीं. | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. छिन्दवाड़ा | .. | | 4. (1) गेहूँ, चना, तुअर समान. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. जुन्नारदेव | .. | | (2) उपरोक्त फसलें समान. | | |
| 3. परासिया | .. | | | | |
| 4. जामई (तामिया) | .. | | | | |
| 5. सोंसर | .. | | | | |
| 6. पांडुर्णा | .. | | | | |
| 7. अमरवाड़ा | .. | | | | |
| 8. चौरई | .. | | | | |
| 9. बिछुआ | .. | | | | |
| 10. हरई | .. | | | | |
| 11. बोलखेड़ा | .. | | | | |
| जिला सिवनी : | मिलीमीटर | 2. .. | 3. .. | 5. अपर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. सिवनी | .. | | 4. (1) धान, मक्का, तुअर, मूंग, उड़द, मूंगफली, गन्ना अधिक. ज्वार, कोदों-कुटकी, गेहूँ, सोयाबीन, मटर, मसूर, लाख, तिवड़ा, अलसी, राई-सरसों कम. तिल, सन समान. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. केवलारी | .. | | (2) .. | | |
| 3. लखनादौन | .. | | | | |
| 4. बरघाट | .. | | | | |
| 5. उरई | .. | | | | |
| 6. घंसौर | .. | | | | |
| 7. घनोरा | .. | | | | |
| 8. छपारा | .. | | | | |
| जिला बालाघाट : | मिलीमीटर | 2. .. | 3. .. | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. बालाघाट | .. | | 4. (1) .. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. लाँजी | .. | | (2) .. | | |
| 3. बैहर | .. | | | | |
| 4. वारासिवनी | .. | | | | |
| 5. कटंगी | .. | | | | |
| 6. किरनापुर | .. | | | | |

टीप.— *जिला मुरैना, भिण्ड, गुना, शहडोल, रतलाम, बड़वानी से पत्रक अप्राप्त रहे हैं.

राजीव रंजन,
आयुक्त,

भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(338)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2015.